राजस्थान विधान सभा

६२ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–२६ अगस्त, सन् १९५४ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–१६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६२६

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी

प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—यह आगे लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता।

(विराम)

प्रश्न संख्या १६३०

सम्वत् २००८ में सरवाड़ तहसील को कमी का क्षेत्र घोषित कर लगान सस्पेन्ड करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि सं० २००८ के वर्ष में सरवाड़ तहसील को कमी का क्षेत्र घोषित कर लगान सस्पेन्ड कर दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि लगान की छूट के कागज़ात अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील में किसानों से उक्त साल की रबी के हासल की रकम जबरन वसूल की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

(ख) सं० २००८ के खरीफ के लगान में छूट की स्वीकृति दे दी गई है। काश्तकारों से,छूट देकर, लगान वसूल किया गया है। सं० २००८-२००९ की रबी के लगान में छूट आदि के पत्रादि सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं। जिन काश्तकारों ने स्वेच्छा से लगान दिया, वह जमा कर लिया गया। किसी पर दबाव नहीं डाला गया।

श्री चांदमल मेहता—रबी की छूट के सिलसिले में फैसला कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि एक आध महीने में हो जाना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—जब तक फैसला न हो तब तक काश्तकारों से लगान वसूल नहीं करने के क्या आदेश जारी कर दिये जावेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसे आदेश जारी किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

प्रश्न संख्या १६३१

जयसमन्द झील में मछलियें पकड़ने का ठेका

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Agriculture Minister be pleased to state:

(a) Whether any contract has been given for fishing in Jaisamand Lake? If so, for what amount and for what period ?

(b) Is there any scheme to develop the fisheries of Jaisamand Lake ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—(अ) जी हां।

(ब) १,५०,०००) रुपये।

(स) पांच वर्ष। १६ जनवरी सन् १९५३ से १५ जनवरी सन् १९५८; सारे राजस्थान में मत्स्य पालन की योजना बनाई जा रही है उसमें जयसमन्द का भी समावेश होगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—पांच साल का ठेका किस कायदे से दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जिस कायदे से दूसरे ठेके दिये जाते हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—एक तरह से यह मोनोपॉली नहीं मानी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक साल का ठेका भी एक प्रकार से मोनोपोली ही है।

श्री खेतसिंह—मछली के ठेकेदार क्या राजस्थान के ही हैं या और कहीं के ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे ठीक नहीं है लेकिन वे राजस्थानी हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—ऐसे ठेका देने से फिशरीज़ में कितना नुकसान होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसे ठेकों से नुकसान नहीं होता है। फिशरीज़ को डेवलप करने की बात भी साथ साथ सोची जा रही है। ठेके दिये जाते हैं, नुक्सान होने का सवाल ही नहीं। मछली कम जरूर होती है, तो वह हर हालत में होती ही है।

श्री सोहनलाल भटनागर—ठेका दिये जाने से पूर्व क्या महाराणा साहब ने भी किसी व्यक्ति को ठेका दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री सोहनलाल भटनागर—तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कोई कार्यवाही नहीं की गई। महाराणा साहब ने ठेका दिया था और जो रकम उस ठेके की वहां जमा होती थी वह सरकार में जमा करा ली गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—महाराणा साहब ने ठेका दिया तो कितनी मन मछली बाहर निकाली गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या वह ज़ायज़ था ?

श्री अध्यक्ष—ज़ायज़ और नाज़ायज़ की बात नहीं, आप इन्फोरमेशन मांगिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—नाजायज तौर पर फिशिंग हुआ, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो रकम जमा उनके यहां हुई थी वह सरकार में जमा हो चुकी है। उन्होंने जाहिर किया कि गलती से ठेका दे दिया गया था।

Page No.4

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या ठेकेदार लोकल कन्ज़म्पशन के लिए भी मछली रखता है या बाहर ही सारी एक्स्पोर्ट करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है । हमारी तरफ से कोई ऐसी टर्म नहीं है । आस पास के रहने वालों को अगर जरूरत हो तो कोशिश की जा सकती है ।

श्री दिलीपसिंह (आॅफ बाटरड़ा)—महाराणा साहब के अलावा और किसी भी स्टेट के महाराजा ने किन्हीं तालाबों का ठेका दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां । एक बार जयपुर हिज़हाइनेस की ओर से दियां गया थां ।

श्री दिलीपसिंह—क्या यह रकम जमा हो गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या महाराणा साहब को ठेका देने का अधिकार था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अधिकार नहीं था इसलिए पहले ही सरकार द्वारा रकम जमा कर ली गई है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १६३२

दिसम्बर सन् १९५२ से अब तक किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा चक्कियों को दिये गये कनेक्शन

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) दिसम्बर सन् १९५२ से अब तक किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा कितनी चक्कियों को पॉवर कनेक्शन दिये गये ?

(ख) उक्त चक्कियों से यूनिट चार्जेज़ के अलावा और क्या क्या चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं ?

Page No.5

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या यह सही है कि ३) रुपये प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से भी कोई चार्ज लिया जाता है ?

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के चार्जेज़ अन्यत्र कहां कहां वसूल किये जाते हैं ?

(ङ) इस प्रकार के चार्जेज़ के किन किन में कितने कितने रुपये बाकी हैं ?

(च) क्या यह सही है कि उक्त चार्जेज़ नहीं देने पर कई चक्कियों के कनेक्शन काट दिये गये ?

(छ) यदि हां, तो किन किन के ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) दिसम्बर सन् १९५२ से अब तक किशनगढ़ पावर हाउस द्वारा चार चक्कियों को पॉवर कनेक्शन दिये गये ।

(ख) यूनिट चार्जेज़ के अलावा और कोई चार्जेज़ नहीं लिये जाते हैं ?

(ग) नहीं ।

(घ) इस प्रकार के चार्जेज़ केवल कोटा में लिये जाते हैं ।

(ङ) रु. ३) प्रति होर्स पावर के हिसाब से केवल श्री धनपतसिंह कोठारी के रु. ९०) बाकी हैं जो पुरानी बकाया है ।

(च) व (छ) केवल श्री धनपतसिंह कोठारी का कनेक्शन काटा गया था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तीन रुपया प्रति होर्स पोवर के हिसाब से रॉयल्टी के रूप में चक्की वालों से रकम वसूल की जाती है, वह रकम कई चक्की वालों में बाकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि धनपतसिंह कोठारी के सिवाय किसी में रकम बाकी नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या धनपतसिंह कोठारी में जो रकम बाकी है वह क्या तीन रुपये प्रति होर्स पावर के हिसाब से वसूल की जाने वाली है, उसमें की बाकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यही मैंने कहा।

श्री चांदमल मेहता—तीन रुपया प्रति होर्स पॉवर के हिसाब से कहां कहां रकम वसूल की जाती है?

श्री टीकाराम पालीवाल—कोटा में लिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ३) रु. प्रति हॉर्स पॉवर चक्कियों के बन्द रहने की हालत में भी वसूल किये जाते हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले की जो बकाया रकम है वह तो वसूल की जायगी चाहे चक्की बन्द रही हो या चालू।

श्री चांदमल मेहता—चक्कियों के बन्द रहने की हालत में भी क्या यह रकम वसूल करना मुनासिब है?

श्री टीकाराम पालीवाल—चाहे चक्कियां बन्द रहें, पहले की रकम जो बकाया है व वसूल की जायगी।

प्रश्न संख्या १६३३

सन ५३-५४ में दादिया (त. अरांई) ग्राम में वितरित गेहूं का बीज

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें:—

(क) ५३-५४ के वर्ष में दादिया ग्राम (तहसील अरांई) में कितना गेहूँ बीज के लिये वितरित किया गया?

(ख) उक्त गेहूँ किन शर्तों पर दिया गया?

(ग) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा लौटाया गया अनाज, ग्राम पंचायत में पड़ा हुआ सड़ रहा है और विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं संभाला जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री):—(क) ४८ मन।

(ख) ५ सेर प्रति मन बाढ़ी पर।

(ग) नहीं।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—क्या यह अनाज इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद मंगाया गया ?

'ग' का जवाब नहीं में दिया गया तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अनाज ग्राम पंचायत में पड़ा सड़ रहा था क्या वह अनाज इस प्रश्न के पूछने के बाद मंगाया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा नहीं समझना चाहिये की हरेक काम प्रश्न पूछने के बाद ही हुवा करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब तो यह समझ लिया जाय कि वहां कोई आनाज नहीं पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जवाब दे चुका हूं 'नहीं'।

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

प्रश्न संख्या १६३४

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित यह आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या १६३५

अराई तहसील के गांवों में गोचर भूमि घोषित करना—विशेषतया दादिया ग्राम में

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) अराई तहसील के किन किन गांवों में गोचर भूमि घोषित की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि दादिया ग्राम में ग्राम पंचायत के बार बार मांग करने पर भ चारागाह की घोषणा नहीं की गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमंत्री)—(क) अराई तहसील के जिन गांवों में गोचर भूमि घोषित की जा चुकी उनकी सूची इस प्रकार है :

अराई, खाड़ा नोनदपुरा, मोतीपुरा, कल्यानपुरा, ढार्ना प्रोहितान, सील कटसुरा, बारला, चोसला, आमास, इन्डोली, मोलपुरिया, काला नाड़ा सिरोन्ज, जगलीपुरा, गैलपुरा, गुन्डली, बाम्बोलाव, डंग,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भागया मंदियावर खुर्द, मोथी, लाम्बा, सन्दोलिया, मन्डावरिया, नाबनियां, दांधिया, जादोले, गोपाल पुरा, देवपुरी, गागुन्दा, गोली, भोगादित, माला बिंजावारा, पांचीपुरा।
कुल २२, ४६८ बीघा।

(ख) दादिया ग्राम के लिये २,०६४ बीघा गोचर भूमि छोड़ी गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—दादिया ग्राम में गोचरभूमि घोषित करने के बारे में कब आज्ञा दी गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कब आज्ञा दी गई, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो भूमि गोचरभूमि घोषित की गई, क्या वह किसानों की पट्टेवाली जमीन को गोचर भूमि घोषित किया गया?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसा नहीं हो सकता।

श्री चांदमल मेहता—अगर ऐसी सूचनायें माननीय मंत्री को दी गई तो क्या वे उस भूमि को गोचर भूमि से मुक्त कर देंगे?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस संबन्ध में जरूर विचार किया जायगा और नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रकार गोचर भूमि छोड़ने का बेसिस क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिये रूल्स बने हुए हैं। आधा बीघा को मवेशी के हिसाब से गोचर भूमि के लिये जमीन रिज़र्व की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जहां आधे बीघे से कम जमीन है वहां काश्त की जमीन को गोचर भूमि घोषित कर दिया जाता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां की सारी परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। मान लीजिये कि जहां जंगल पास में है वहां आधी बीघा ही जमीन छोड़ना काफी होता है क्योंकि पास में जमीन उपलब्ध है उसमें वे मवेशी चरा सकते हैं।

प्रश्न संख्या १६३६

सन् ५३-५४ में किशनगढ़ सब डिविजन में एस. डी. ओ. द्वारा पेड़ काटने की स्वीकृति

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में कितने व्यक्तियों को एस. डी. ओ. किशनगढ़ द्वारा पेड़ काटने के परमिट दिये गये ?

(ख) उक्त व्यक्तियों ने कितने कितने मूल्य के कितने कितने पेड़ काटे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) सन् १९५३-५४ में एस. डी. ओ. किशनगढ़ ने काश्तकारों को अपनी अपनी खुदकाश्त जमीन में से ६ दरख्त काटनेकी इजाजत दी।

(ख) मूल्य के आंकड़े सरकार के कागज़ात में दर्ज नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि ६ नहीं, बल्कि कई हजार पेड़ इस तरह से काटने की इजाजत दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जानकारी में होती तो मैं उत्तर नहीं दे देता।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि बहुत बड़ी तादाद में पेड़ काटने की इजाज़त देने की वजह से काश्तकारों को काश्त की लकड़ी प्राप्त होना मुश्किल हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। यदि यह जानकारी दी जायगी तो जांच की जा सकती है।

प्रश्न संख्या १६३७

तहसील बनेड़ा का उदयसागर नामक तालाब सरकारी या ठिकाना बनेड़ा का

श्री कस्तूरचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा तहसील बनेड़ा का उदय सागर नामक तालाब ठिकाना बनेड़ा का है या सरकारी ?

Page No.10

[श्री कस्तूरचन्द]

(ख) क्या इस तालाब की पाल की घास व लकड़ी ठिकाना बनेड़ा दे सकता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) अभी तक यह ठिकाना बनेड़ा का था।

(ख) अगर यह तय पाया गया कि यह तालाब ठिकाने की अपनी मिल्कियत है तो ठिकाना घास व लकड़ी बेच सकेगा। इस बात की जांच कलेक्टर कर रहे हैं।

श्री कस्तूरचन्द—जब यह ठिकाना २३ तारीख को सरकार के कब्जे में आ गया तो तालाब ठिकाने के कब्जे में कैसे रहा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ठिकाना कब्जे में लिया गया या नहीं, यह मुझे पता नहीं।

श्री रामलाल उपाध्याय—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलायेंगे कि जागीरें रिज़्यूम होने के बाद में उस तालाब का ठेका दिया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं यह नहीं कह सकता, किन्तु यदि जागीरें रिज़्यूम की गई होंगी तो उसका कब्जा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया होगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जागीरी रिजम्पशन के बाद में जो ठेका दिया गया क्या उसका पैसा सरकार लेने के लिये तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता महोदय उस ठेके को लेने में इन्टरेस्टेड थे ?

श्री अध्यक्ष—This information can be given outside the House.

प्रश्न संख्या १६३८

किशनगढ़ तहसील में सहणे, उनके काम तथा उनके हैडक्वार्टर

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ तहसील में सहणों की संख्या कितनी है और उनके जिम्मे क्य काम है ?

(ख) उक्त सहणों के हैडक्वार्टर कहां कहां हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री) — (क) किशनगढ़ तहसील में २१ सहणें हैं। उनके जिम्मे वसूली कराना, तहसील व अन्य कार्यालयों की तामीलात कराना है ।

(ख) सहणों के हैडक्वार्टर निम्न स्थानों पर हैं :—

१. किशनगढ़, २. सांवतसर, ३. कुचील, ४. डीडवाना, ५. बांधर सीदरी,
२ १ १ १ १
६. खातोली, ७. बुहारू, ८. टिकावडा, ९. बरणा, १०. सरगांव, ११. टोकडा,
१ १ १ १ १ १
रलावता, १३. नरवर, १४. बडगांव, १५. खन्डाच, १६. नलू, १७. तहसील कार्यालय
१ १ १ १ १ ४
मु० २१ सहना

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन सहणों को देहातों में होना बतलाया गया है उन सब का हैडक्वार्टर किशनगढ़ में कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किसी काम से वहां बुलवाये गये होंगे, नहीं तो हैडक्वार्टर तो उनका वह नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—यदि किशनगढ़ नहीं है तो वापिस शासन की सुविधा की दृष्टि से जहां उनको रहना चाहिये वहां वापिस भेजने को क्या सरकार तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आम तौर से सब के हैडक्वार्टर्स तय किये हुए हैं उन्हें वहीं रहना चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता—यदि नहीं रहें तो जिन अधिकारियों ने उनको वहां डेप्यूट कर दिया है और वापिस भेजने को तैयार नहीं हैं तो क्या ऐसे अधिकारियों के प्रति सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हां जरूर तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कस्तूरचन्द ।

प्रश्न संख्या १६३६

बनेडा (जिला भीलवाड़ा) की हाईस्कूल के अधूरे बने भवन को पूरा करना

१६३६. (३७०/एफ. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एल. एल. ए., डिवीजन नम्बर ७२ — क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाडा में कस्बा बनेडा की हाई स्कूल की इमारत अधूरी पड़ी है उसे पूरी करवाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने तत्काल पूरा करने को कहा था ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—यह प्रश्न शिक्षा मन्त्री से करना चाहिये था । वे ही इसका जवाब देंगे । यह उन्हीं से सम्बन्धित है ।

प्रश्न संख्या १६४०

गंगानगर की नहरी भूमि से रेवेन्यू रेट, वाटर रेट इत्यादि की आय

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १६४२-४३ में गंगानगर की नहरी जमीन से रेवेन्यू रेट, वाटर रेट, पटवार, फीस चौधर से सरकार को कितनी आय हुई और सन् १६५३-१६५४ में कितनी आय हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—आय हुई वह इस प्रकार है :—

सन् ४२-४३ में लेन्ड रेवेन्यू रेन्ट्स	८,२६,११४)
रेवेन्यू रेन्ट्स	८,३२,६६७)
कुल	१६,६१,७८१)
वाटर रेन्ट	१६,७०,२६५)
पटवार रेन्ट	२,१६,२७५)
चौधर फीस	८६,५०६)
कुल	१६,७३,०७६

Page No.13

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कुल आय ३६,३४,८७०)

सन् १९५३-५४ में लेन्ड रेवेन्यू	२३,८६,३९९)
	कुल २३,८६,३९९)
वाटर रेन्ट	३१,०३,०३२)
पटवार	३,३८,१६४)
चौधरी फीस	१,६३,८३९)
	कुल ३६,०५,०३५
	कुल आय ५९,७३,४३४

श्री गुरुदयाल सिंह सिन्धु—सन् ४२-४३ से सन् ५३-५४ में इतनी रेट बढ़ जाने में क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ तो जमीन वहां ज्यादा काश्त में आई और कुछ आमदनी समय समय पर और कारणों से बढ़ी है। इसलिए टोटल इन्कम बढ़ गई।

श्री गुरुदयाल सिंह सिन्धु—क्या कुछ पानी भी बढ़ गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, पहले से पानी भी बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्या १६४१

सिवाना तहसील (जि० बाड़मेर) की एक सड़क को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना

श्री मोटाराम चौधरी—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे (क) सिवाना तहसील जिला बाडमेर में क्या कोई सड़क पंचवर्षीय योजना में ली गई है ? यदि हां, तो कौनसी सड़क ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या बालोतरा से आसोतरा व खड़प जाने वाली सड़क को पंच वर्षीय योजना में रक्खा गया है। यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) जिला बाड़मेर में कुल कितनी सड़कें पंचवर्षीय योजना में रक्खी गई हैं ?

[श्री मोटाराम चौधरी]

(घ) क्या यह सही है कि बाडमेर जिले में सब से कम कार्य पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है ?

(ङ) सिवाना तहसील में कौन सा कार्य पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (योजना मंत्री)—(क) अन्य महत्व पूर्ण आवश्यक सड़कों के कारण सिवाना तहसील, जिला बाड़मेर में पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क स्थान न पा सकी हैं।

(ख) दूसरी महत्वपूर्ण व आवश्यक सड़कों के कारण यह पंचवर्षीय योजना में स्थान न पा सकी है।

(ग) जिला बाडमेर में निम्नलिखित सड़कें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं।

१. कल्याणपुर से सिंदड़ी सड़क	५००००
२. बालोतरा से सेड मन्दिर तक	३००००
३. बाडमेर चोहटन मील २४ से २८	२००००
४. सिंदड़ी से बाड़मेर ग्रेवल सड़क	१०००००
५. सिंदड़ी सांचोर	२१६६५६
६. बाडमेर से चिनलवाना	१०००००
७. बाडमेर से जैसलमेर सरह्द तक	१०००००
८. बाडमेर से गडरा रोड़	१०००००
९. बाडमेर से चोहटन सड़क	११६७५
	७२८६३१

(घ) नहीं।

(ङ) पंच वर्षीय योजना सारे राज्य के विकास का ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसलिये इस कार्य को तहसीलदार विभक्त करना संभव नहीं है। ऐसी योजनाएं जिनको तहसीलवार विभक्त किया जा सकता हैं उनके बारे में सूचना निम्न प्रकार से हैं।

(१) देहातों में पानी की व्यवस्था के लिये रु० ४५, ४३०।

(२) स्कूल सन् ५३—५४ व ५४—५५ ५।

श्री तनसिंह—यह जो आपने माइलेज बताया है बाड़मेर और चौहटन का, इससे आप का माइलेज बनाने का क्या तात्पर्य है? क्या यह सड़क दुबारा बनाई जावेगी?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, मरम्मत का काम होगा।

श्री तनसिंह—तो क्या मरम्मत का काम भी पंचवर्षीय योजना में आता है?

श्री टीकाराम पालीवाल—डामर करते हैं तो यह काम भी पंचवर्षीय योजना में आ जाता है।

श्री खेतसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि इस सड़क पर डामर की जावेगी?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो जहां तक बताया गया है उस पर डामर पड़ेगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—पीने के पानी की किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरा जोर से बताइये?

श्री सन्तोषसिंह—सिवाना तहसील में पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी तो यह कैसी व्यवस्था होगी?

श्री टीकाराम पलीवाल—आप प्रश्न के (ड) भाग को देखेंगे तो आपको पता लगेगा। पीने के पानी पर ४५, ४३०) रूपया खर्च होगा और पांच स्कूल होंगे।

श्री सन्तोषसिंह—खर्चा तो बताया, पर किस किस चीज में किस किस तरह से यह खर्च होगा। क्या टैंक बनाये जावेंगे या कुए खोदे जावेंगे या क्या किया जावेगा, यह मेरा प्रश्न है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पंचवर्षीय योजना में इसका एक निश्चित रूप है कि १।३ हिस्सा गांव वाले देंगे और बाकी की सरकार की मदद होती है।

श्री सन्तोषसिंह—जो तरीका बताया वह तो ठीक है पर मेरा पूछने का मतलब यह है कि वह व्यवस्था क्या की जावेगी? कुए खोदे जावेंगे या टैंक बनाये जावेंगे?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह व्यवस्था पंचायत के मार्फत होती है। वह अपने फोर्म भर कर भेज देती है और सरकार उस पर अपनी रकम उसके पास भेज देती है। जो भी व्यवस्था करना, कुए खुदवाना या टैंक बनवाना जो भी कुछ करना है यह सारी व्यवस्था उसी को करनी है। इसकी एक योजना वह सरकार के पास भेजती है और वह योजना मन्जूर होने के बाद रुपया मिल जावेगा।

श्री सन्तोषसिंह—गांव वाले अगर १।३ हिस्सा नहीं दे सकेंगे तो क्या होगा?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस योजना के अन्तर्गत तो श्रमदान से या रकम से यह हिस्सा देना जरूरी है।

प्रश्न संख्या १६४२

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धूलजी भाई भावसार।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६४३

जालोर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें व भवन बनाना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जालोर जिले में पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें व बिल्डिंग बनाने की योजना है ?

(ख) कहां कहां बिल्डिंग बनाई गई व कौन कौन सी सड़कें बनाई गई हैं ? उनमें कितने कितने रुपये सन् '५४ तक खर्च हुए ?

(ग) कौन कौन सी सड़कें व बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जालोर जिले में पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित बिल्डिंग व सड़क बनाने की योजना है :

सड़कें

१. जालोर से तखतगढ़ मैटल रोड	५,६०,००० (एस्टीमेट रिवाइज़ किया जा रहा है।)
२. मालवाड़ा रेल्वे स्टेशन से शहर तक सड़क	३६,५००
३. बागरा रेल्वे स्टेशन से शहर तक सड़क	२,०५,०००
४. जोधपुर से जालोर ग्रेवल रोड	२,०५,०००
५. जालोर शहर से स्टेशन की सड़क पर कॉज़वे नाला बांधना	२५,०००
६. आहोर जालोर सड़क की मील ४ पर नाला बांधना	६१,०००

[श्री टीकाराम पालीवाल]

७. बाडमेर से चितलवाना १० मील	४१,६७०
८. सीनवरी सांचोर सड़क २४ मील	१,५३,१४५
९. सांचोर रानीवाड़ा	१,७५,८२७

बिल्डिंग

यद्यपि बिल्डिंग के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, किन्तु केन्द्रिय सरकार से जो द्रव्य स्वीकार हुआ है उसमें से अब तक निम्नलिखित कार्य स्वीकार हुए हैं। शेष कार्य गवर्नमेन्ट के विचाराधीन हैं।

१. पुलिस थाना भवातड़ा	६०,०००
२. भीनमल लोकअप	५०,०००
३. जालोर ट्रेज़री में कुछ काम	२२५
४. जालोर लोकअप में कुछ काम	१,०००
५. पुलिस थाना बाकासर	६०,०००
६. भीनमाल में मुन्सिफ का कोर्ट रूम	१०,०००
७. सांचोर में मुन्सिफ का कोर्ट	२०,०००

(ख) निम्नलिखित बिल्डिंग व सड़कें बन चुकी हैं या चालू हैं और सन् १९५४ का खर्चा उसके सामने दर्ज है :

१. जालोर से तखतगढ़ सड़क	२२,०००
२. मालवाड़ा रेल्वे स्टेशन से शहर तक सड़क	४,६००
३. पुलिस थाना भवातड़ा.	२४,६५३
४. भीनमाल लोकअप	३६,७६८
५. जालोर ट्रेज़री में कुछ काम	२१४
६. जालोर लोकअप में कुछ काम	७७६

(ग) 'ख' में दर्ज किये हुए काम में से नम्बर ३ से ६ के काम पूरे तैयार हो चुके हैं, बाकी काम चालू हैं। सब काम एक साथ समाप्त नहीं किये जा सकते और कार्य की प्रगति बहुत कुछ द्रव्य, प्रशासिक स्वीकृति, जमीन का उपलब्ध होना आदि आदि पर निर्भर है।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—सांचोर से बाकासर तक कोई सड़क बनाने की योजना है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल– जो योजना है वह मैंने आपको बता दी है ?

श्री मोतीराम—गंगानगर जिले में २५५ मील की सड़कें बनाने की बात आपने कही, उनमें से किस सड़क का काम जारी हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनका सर्वे आदि हो रहा है और टेन्डर मांगे जा रहे हैं उनके लिये। अब काम चालू हो जावेगा।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—मेरा सरकार से निवेदन यह करना है कि बाडमेर से बाकासर तक सड़क न होने से जनता को तो दिक्कत है ही, पर सरकारी अफसरों आदि को भी आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिये चोहटन से बाकासर तक सड़क होना जरूरी है; तो क्या माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन कर उम्मीद करूं कि यह सड़क बन जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूरत की सड़क वह भी हो सकती है। उसके अलावा और भी जरूरी बहुत हैं। जहां जरूरी काम है तो वहां उनको पूरा करने का सरकार का इरादा है। इस सड़क के बारे में उम्मीद रखें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—पंचवर्षीय योजना में अस्पताल और स्कूलों की बिल्डिंगों की अपेक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को क्यों प्रिफ्रेन्स दिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना पहले महत्व की बात है।

श्री मोतीराम चौधरी—आपने सर्वे का जवाब दियां था, तो वह सर्वे कब तक खत्म हो जायगी और कब तक चालू हो जायगा ?

श्री खेतसिंह—टेन्डर अब मांगे गये हैं जब कि पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है; तो क्या हम यह मानें कि नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में यह सड़कें बनेंगीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो सड़कें इस पंचवर्षीय योजना में नहीं बनेंगी वह अगली पंचवर्षीय योजना में बनेंगीं।

श्री खेतसिंह—क्या यह मनी लेप्स नहीं होगा, यों का यों ही पेंन्डिग रहेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—रुपया तो जितना मिलेगा वह सब खर्च करने का इरादा है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, मेरे कुछ प्रश्न थे; अगर आज्ञा हो तो अब पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष—आप आगये क्या ? यस।

प्रश्न सं० १६२६

थाना लाडनू में सन् '५१ से ५४ तक के कत्ल के मुकदमें

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) थाना लाडनू में १९५१-५२, ५२-५३ व ५३-५४ में कितने मरडर (खून) केसेज़ हुए और उनमें किस किस में क्या नतीजा निकला ?

(ख) क्या यह सही है कि लाडनूं थाना में जितने मरडर केसेज़ होते हैं उन पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाने के कारण ही मरडर केसेज़ भी बढ़ते जा रहे हैं ?

(गृह मंत्री की अनुपस्थिति में श्री रामकरण जोशी स्वायत्त शासन मन्त्री ने उत्तर दिया

श्री रामकरण जोशी—(क) केवल एक कत्ल का केस थाना लाडनूं के हलके में सन् १९५३ में हुआ था, जिसका चालान होकर आगे की कार्यवाही चल रही है।

(ख) जी नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—सन् ५१-५२ में क्या हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—यह दूसरा सवाल है, अलग से पूछिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—इसी में है।

श्री अध्यक्ष—इसी में है।

श्री मोतीलाल चौधरी—सन् '५१-५२, ५२-५३ में क्या हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—इन चारों सालों में एक ही केस रजिस्टर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह—वह कौन से साल में ?

श्री अध्यक्ष—५३-५४ बतलाया न।

श्री मोतीलाल चौधरी—जो मरडर केस हो जाते हैं तो कोई सामने लाता है, उसके बाद पुलिस रजिस्टर करती है, लेकिन अगर वह पुलिस सुनता है, तो क्या आगे आप रजिस्टर करती है या नहीं ?

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है पुलिस मरडर केसेज़ को जानबूझ कर रजिस्टर नहीं करती है ?

Page No.20

श्री रामकरण जोशी—यह कहना सही नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या इस चेलेन्ज को सरकार स्वीकार करती है कि सन् ५१—५२, ५२-५३ और ५३-५४ में एक ही केस हुआ है, जब कि मैं कह रहा हूं कि वहां ३० मरडर केसेज् हुए हैं। पुलिस में एक ही केस रजिस्टर क्यों हुआ ?

श्रीरामकरण जोशी—अभी तक सूचना मिली नही।

श्री मोतिलाल चौधरी—क्या यह सही हैं के जितने भी मरडर केसेज़ रजिस्टर होते हैं उनमें पुलिस अपने विटनेसेज् वीक रखती है, तो वह केसेज् बिगड़ जाते हैं।

श्री रामकरण जोशी—लाडनू से संबंधित सवाल में यह नहीं आता है।

श्री **जवानसिंह**—चेलेन्ज एक्सेप्ट किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—I don't allow challenges to be accepted.

श्री **मोतिलाल चौधरी**—माननीय अध्यक्ष, मेरा क्वेश्चन यह है कि एक ही केस रजिस्टर किया गया हैं तीन सालों में जब कि वहां इन तीन सालों में ३० मरडर केस हुए हैं। तो क्या सरकार इस बात की एन्क्वायरी करवायेगी कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हैं, संबंधित अधिकारियों ने केसेज रजिस्टर नहीं किये हैं जानबूझ कर ?

श्री रामकरण जोशी— कोई अवेदन इस प्रकार का आवेगा कि एक केस रजिस्टर किया गया है वह गलत हैं तो जांच जरूर की जावेगी। लेकिन यह बात तय है कि केवल एक ही केस वहां रजिस्टर हुआ है। जानबूझकर केसेज् रजिस्टरर नहीं किये गये है, यह कहना गलत हैं।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—मरडर केस के तो समाचार मिलते ही पुलिस को पहुंचना चाहिए।

श्री **रामकरण जोशी**— समाचार मिलने की जरुरत पड़ती है।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाय कि समाचार नहीं मिले हैं।

श्री **रामकरण जोशी**— इसका अर्थ यही है कि उनकी सूचना पुलिस को नहीं मिली है।

श्री मोतीलाल चौधरी— अब तक समाचार केवल एक ही केस का मिला है, जब कि वहां ३० केसेज् हुए हैं; क्या आप इसकी इन्क्वायरी करवायेगें।

Page No.21

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स में समाचार मिलने की आवश्यकता है ?

श्री रामकरण जोशी—बिना जानकारी किसी की जांच नहीं हो सकती है।

श्री रामदयाल उपाध्याय— मेरा सवाल यह है कि क्या कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स हैं उनमें समाचार मिलने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष— Does not arise. It is a legal question.

श्री मोतीलाल चौधरी—अब समाचार मिलने के बाद क्या सरकार जांच करवाने के लिये तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—वह किसके बारे में जांच करे ? जांच करना जरुरी मालूम पड़े, तो जांच हो सकती है। समाचार मिलने पर पुलिस हमेशा पहुंचती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरा तो यही कहना है कि आपने अपने जवाब में एक केस के लिए कहा है वह बिल्कुल गलत जवाब है।

श्री रामकरण जोशी—क्या ?

श्री मोतीलाल चौधरी—आपने जवाब दिया कि मरडर केस एक हुआ और मैं कहता हूं कि ३० हुए हैं, तो इसकी इन्क्वायरी करवाने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अगर कोई जरुरी इत्तिला देंगे तो जरुर जांच हो जायगी और उसकी जांच कर लेने के बाद उस पर कार्यवाही होगी।

श्री जवानसिंह—इत्तिला के माफिक जांच होगी या कानून के माफिक होगी ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज़ ! यह बिल्कुल स्पष्ट है सा सवाल है कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एक केस हुआ और माननीय सदस्य कहते हैं कि ३० मरडर केस हुए तो ३० केसेज़ कहां कहां हुए, उनकी रिपोर्ट लिखी गई या नहीं। उसके बारे में अगर कोई स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट रखी जाय तो उसकी इन्क्वायरी हो सकती है। हाउस में चैलेन्ज देने या एक्सेप्ट करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, when the Hon'ble Minister says that they are prepared to institute a regular enquiry if a proper complaint is made.

श्री मोतीलाल चौधरी—वही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप दीजिये कि इतने केसेज़ मरडर के हुए हैं और किसने उनकी इन्फोर्मेशन दी और उनकी कम्प्लेन्ट रजिस्टर हुई या नहीं ? They are prepared to institute a regular inquiry.

श्री हिम्मतसिंह—माननीय सदस्य को हॉफ एन आवर डिस्कशन का टाइम डिबेट के लिए दे दिया जाय तो वह क्लियर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—When I vacate and the Hon'ble Chairman comes in the chair.....

श्री मोतीलाल चौधरी—जो केस रजिस्टर हुआ है उसके लिए क्या हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—उसमें कार्यवाही चल रही है, वह मैंने आपको जवाब दिया है।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या उसमें एक आदमी को छोड़ दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—कोर्ट से छूटा है। कोर्ट मे केस चल रहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी—कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है ?

श्री रमकरण जोशी—यह कार्यवाही कोर्ट में चल रही है और वहीं बहस मुबाहसा ह रहा होगा।

प्रश्न संख्या १६३४

सन् १६५१ से ५४ तक थाना खुनखुना, लाडनू, बडी खाटू, व डीडवाना में पशुओं की चोरी के मामले

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

थाना खुनखुना, लाडनू बड़ीखाटू व डीडवाना में १६५१-५२,५२-५३,व ५३-५४ में की पशुओं की चोरियों के कितने केस हुए और कितने पशु बरामद हुए ?

श्री रामकरण जोशी (गृह मंत्री की ओर से)—इन तीन सालों में इन थानों के हलकों में पशु चोरी के ६८ केस हुए जिनमें से ३५ बरामद हुए।

श्री मोतीलाल चौधरी—कौन २ से थाने में कितने २ ?

श्री रामकरण जोशी—खुनखुना में सन् १६५१ में २, ५२ में ३, ५३ में १ और ५४ में बिल्कुल नहीं। लाडनू में सन् ५१ में६, ५२ में ६, ५३ में ८, और ५४ में कुछ नहीं। बडी खाटू में सन् ५१ में २, ५२ में २, ५३ में ६ और ५४ में नहीं और डीडवाना में सन् ५१ में १६, ५२ में ३, ५३ में २ और ५४ में १।

Page No.23

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या यह सही है कि पशु चोरियों के बारे में पुलिस के अधिकारीगण जितने केसेज़ होते है उनको रजिस्टर नहीं करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा आप कोई सुबूत दे सकते हैं तो जवाब दिया जा सकता है, वरना केस तो रजिस्टर जरूर होते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—सन् १६५१ व ५२ में पशु चोरियों के जो केस हुए हैं, उन केसेज़ का क्या हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—१६५१ में २ चोरियां हुई हैं उनमें एक बरामद हुई है व ५२ में २ चोरियां हुई हैं वे बरामद हुई हैं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि प्रश्नकर्त्ता की २ बकरियें और १ मेड़ सन् ५१ में चोरी गई थीं, जिनका अब तक पता नहीं लगा ?

श्री रामकरण जोशी—थाने में रिपोर्ट रजिस्टर हुई होगी।

श्री खेतसिंह—रिपोर्ट लेकर गये, लेकिन रजिस्टर नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि मेड़ व बकरियें शेरगढ़ में बरामद हुई ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member can better reply.

(हंसी)

Order please !

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री प्रतापसिंह (वि० सं० ११७) ने विधान सभा की बैठकों, १० अगस्त, १६५४ से सदन की समाप्ति तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

(विराम)

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक,१९५३, (अग्रेतर खण्डशःवाद-विवाद)

क्लॉज़ १६ सी

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ सी माननीय मंत्री पर मिर्धाजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसे देख कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ।

श्री जवानसिंह--On a point of order, Sir क्लॉज़ १६ बी पर कल सदन में बहस खत्म हो गई थी, तो अब इस वक्त सदन में वापिस बहस क्यों शुरू हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—Clause 16 C is under consideration

श्री जवानसिंह—The Hon'ble Revenue minister की reply के लिए है।

श्री जवानसिंह—अब इस पर वापिस बहस शुरू हो रही है ? क्या इसके लिये अनुमति है ?

श्री अध्यक्ष—१६ बी या १६ सी, किस पर बहस हो रही है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं १६ सी पर बोल रहा हूँ।

मैं यह कह रहा था कि जो सब टिनेन्ट्स हैं या खुदकाश्त टिनेन्ट्स हैं वे किस तरह से खातेदारी राइट्स प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिये क्या व्यवस्था है ? माननीय मिर्धाजी ने यह बतलाने की कोशिश की है कि उनसे लागत का २० गुना, १८ गुना और १५ गुना खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये वसूल किया जायगा। इतना देने की स्थिति में यदि वे तैयार हैं तो वे हक प्राप्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, सरकार की ओर से माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बार बार यह बतलाने की कृपा की है कि सरकार की यह नीति है कि सब टिनेन्ट्स को डिस्करेज किया जाय और इस सम्बन्ध में अपने भाषण में समय समय पर प्लानिंग कमीशन की भी यही विचारधारा इसके बारे में है उसकी चर्चा की। अब प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री रामनिवास मिर्धाजी ने रखा है उससे किस हद तक इस बात की पूर्ति होती है। क्या इससे सब टिनेन्ट्स डिस्करेज होते हैं ? मैं मानता हूँ कि सब टिनेन्ट्स को यदि डिस्करेज करने की बात है और वे इस तरह सब टिनेन्ट्स न रहें और न खातेदारी टिनेन्ट्स रहें तो पूर्ति हो सकती है और यह मौका आ सकता है कि जो जमीन उनके पास है उनसे हटा देनी पड़ेगी। इस तरह खातेदारी हक प्राप्त करने में किसी भी सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को कितने रुपये देने पड़ेंगे यह सोचने की बात है। इसी क्लॉज़ की खण्ड (बी) में इम्प्रूवमेन्ट के लिये कंपेनसेशन देने के लिये कहा गया है। जो यदि कुआ है तो उस पर कम से कम ५ हजार रुपये देने पड़ेंगे। इस धारा में यह है कि यदि ३० बीघा जमीन ईर्रिगेट (सिंचाई) होती है एक कुए पर और उसके लगान के आधार पर कम्पेन्सेशन का हिसाब लगावें तो यह मानना पड़ेगा कि कम

[श्री चांदमल मेहता]

से कम २ हजार रुपया देना पड़ेगा । इस तरह ३० बीघा इरिगेटेड जमीन के खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये एक किसान को कम से कम ७ हजार रुपये देने पड़ेंगे और यह देना पड़ेगा, जैसी कि आगे धारा आती है, ६ साल में उसमें से भी यदि २ साल तक किश्त बराबर अदा नहीं कर सका तो यह मौका आता है कि वह जमीन वापिस असली लैंड होल्डर को लौटा दी जायगी । आगे धारा १३१ को देखें तो यह स्थिति पैदा होती है कि ३ साल में खातेदारी हक प्राप्त नहीं करेगा तो उसे जमीन से इजेक्ट होना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि राजस्थान की जैसी स्थिति है, जहां पर हर तीसरे साल अकाल पड़ते रहते हैं वैसी हालत में कोई किसान ३० बीघा जमीन पर खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये ७ हजार रुपये किसी भी हालत में नहीं दे सकेगा । मैं पुरानी रियासतों के समय में जो पट्टा इनायत होता था और खातेदारी टिनेन्ट होते थे उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । वहां ऑक्शन किया जाता था और ऑक्शन होने के बाद जो रकम मुकर्रर होती थी उससे भी कई गुना ज्यादा यह रकम हो जायगी । इसका रिजल्ट यह होगा कि जहां एक तरफ हम यह कहते हैं कि सब टिनेन्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज करना है और दूसरी तरफ यदि यह अमेन्डमेन्ट मंजूर हो गया तो उनको इजेक्ट करके डिस्करेज किया जा सकेगा ।

खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए कम्पेन्सेशन (Compensation) निश्चित करने की दृष्टि से जमीनों की श्री मिर्धाजी ने तीन किस्में बताई हैं और उनकी अलग अलग रेट्स बताई हैं, २० गुना, १८ गुना और १५ गुना । इन ३ किस्म की जमीनों को निश्चित करने का आधार क्या होगा, यह नहीं बताया । इससे एक बड़ी दिक्कत है

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह यह कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, यह तय करने में कि कौनसी जमीन किस केटेगरी में रखी जाय और किसान को इससे बड़ी परेशानी होगी । मैं मानता हूं कि इस माने में जमीन को तीन किस्मों में तकसीम करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लगान वसूल करने के सिलसिले में जो जमीन है उसको जमीन की हैसियत से शायद तकसीम किया है । अव्वल दर्जे की जमीन का अधिक लगान मुकर्रर किया गया है, दूसरे दर्जे की जमीन का उससे कम और तीसरे दर्जे की जमीन का उससे भी कम मुकर्रर किया गया है । यदि हमें कंपेन्सेशन मुकर्रर करना है तो इस स्थिति में नये ढंग से तीन किस्मों में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है । लगान का कितनी गुना कम्पन्सेशन दिया जायगा, यह निश्चित करना ही पर्याप्त है । इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मिर्धाजी से निवेदन करूंगा कि अपने अमेन्डमेन्ट पर फिर सोचें कि क्या उनका मकसद उन किसानों को राहत देने का है, उनको खातेदारी हक देने का है कि जो सब टिनेन्ट्स हैं या खुदकाश्त टिनेन्ट्स है या उनको इजेक्ट करने का है; यदि दूसरी बात है तो मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और यदि पहली बात है तो मैं कहूंगा कि आप फिर सोचें । किसी हालत में मेरे ख्याल में भी किसी किसान को खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये दूने से अधिक कंपेन्सेशन नहीं देना चाहिए, जैसा कि एक

[श्री चांदमल मेहता]

माननीय सदस्य ने बी. क्लॉज़ के संबंध में एक अमेन्डमेन्ट रखा है। यदि मिर्धाजी यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से कहूंगा कि वे अपने शब्दों को याद करें जो उन्होंने इस सदन में बार-बार कहे हैं कि सब टिनेन्ट्स को डिस्करेज करने की हमारी नीति है और सरकार की ओर से एक ऐसा अमेन्डमेन्ट लावें जिससे सब-टिनेन्ट्स को डिस्करेज करने की भावना पूरी होती है।

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त श्री मिर्धा जी ने क्लॉज़ (सी) पर जो अमेन्डमेन्ट रखा है उस पर चर्चा चल रही है। मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं और जिस हालत में यह अमेंडमेंट पेश हुआ है उसी हालत में जिस नीति को अपना कर सरकार ने यह टिनेन्सी बिल रखा है उसकी पूर्ति नहीं होती, यह बतलाना चाहता हूं।

इस अमेन्डमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं तो जमीन की ३ किस्में की गई हैं। एक एबव एवरेज (above average), एवरेज (average) और बिलो एवरेज (below average)। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल अनावश्यक था कि इस तरह जमीन की तीन किस्में की जातीं। आज राजस्थान में हम सब जगह देखते हैं कि जमीन का रेंट जमीन की हैसियत से लिया जाता है। जमीन की किस्में ऑलरेडी (पहले ही) बनी हुई हैं; चाही नहरी, तालबी, बारानी है और बंजर है। इस तरह की अलग अलग तरह की जमीनें हैं और चाही, बारानी में भी दर्जा अव्वल, दोयम और सोयम है और इनका लगान जब पहले से ही अलग अलग है, यह क्लासिफिकेशन पहले से ही है, जिसमें जमीन की क्वालिटी के मुताबिक लगान निर्धारित है तो फिर एबव एवरेज और बिलो एवरेज का पचड़ा क्यों खड़ा किया जाता है? यह यों भी नहीं होना चाहिये कि यह एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज तय करते समय चाही अलिफ है उसको बिलो एवरेज रख दिया जा सकता है और चाही सोयम है उसको एबव एवरेज रख दिया जा सकता है। तो इस तरह की तीन तरह की डिविजन करने की व्यवस्था जो की गई है वह बिल्कुल गलत है। यही नहीं मैं तो इसको इम्प्रेक्टिकेबल, यानी (अव्यवहारिक) मानता हूं।

इस अमेंडमेंट में एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज; ये तीन किस्में रखीं लेकिन इसमें यह नहीं रखा कि एवरेज लैंड किसको माना जायगा, कितनी पैदावार हो उसको एवरेज माना जायगा और कितनी पैदावार नहीं हो उसको एवरेज नहीं माना जायगा? तो इस तरह यह सेक्शन बिल्कुल अर्बीट्रेरी होगा और कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह चाहे उसी को एबव एवरेज मान ले और चाहे उसी को एवरेज मानले और जिसे वह चाहे उसे बिलो एवरेज मान ले। इससे बहुत बड़े पॉवर कलेक्टर के हाथ में रख दिये जायगें। कलेक्टर खुद तो मौके पर जाते नहीं हैं, पटवारी और गिरदावर के हाथों में रहेगा। और आज पटवारी और गिरदावर किस तरह गरीबों को लूटते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है और फिर इससे वे कितना गरीबों को लूटेंगे और कितना भ्रष्टाचार करेंगे

[श्री श्यामलाल गोयल]

यह एक सोचने की बात है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह गैर जरूरी है, इसको नहीं रखा जाना चाहिये।

अलावा इसके इस एवरेज के सिलसिले में एक खास बात और देखना है कि एक जमीन खराब है, पर काश्तकार उसमें खाद वगैरह अच्छी तरह से डालता है, अच्छी तरह जोतता है और समय पर पानी देता है; तो नतीजा यह होता है कि अच्छी फसल हासिल कर लेता है। एक दूसरा काश्तकार है जिसके पास अच्छी जमीन है परन्तु उसके पास जरिये नहीं है, जमीन अच्छी है, पर खाद नहीं दे सका है, निन्दानी वगैरह समय पर नहीं कर सका है, जमीन अच्छी है, पर जमीन अच्छी होने के बावजूद भी वह काफी फसल पैदा नहीं कर सकता; ऐसे केसेज में एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज के लिये क्या होगा, यह इस क्लॉज में निर्धारित नहीं किया गया है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो तीन किस्म की जमीन का डिविजन रखा है वह बिल्कुल गलत है। सिर्फ उसी किस्म की जमीन, जैसी कि आज तक चक-बन्दी में है उसी तरह की जमीन रखी जानी चाहिये।

दूसरे इसमें अलग अलग तरह का कम्पेन्सेशन रखा है, एबव एवरेज के लिये २० टाइम्स, एवरेज के लिये १८ टाइम्स और बिलो एवरेज के लिये १५ टाइम्स दिया है। इसे देखा जाय तो यह डिस्क्रिमिनेटरी है। क्या वजह है कि एक टिनेन्ट के पास जमीन अच्छी है, दूसरे के पास खराब जमीन है, तो क्या वजह है कि एक को ज्यादा और दूसरे को कम कम्पेन्सेशन दिया जाय ? यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, हर टिनेन्ट को बराबर बराबर कम्पेन्सेशन दिया जाना चहिये। इसी में न्याय है वरना केटेगेरीज़ ऑफ कम्पेन्सेशन कर दी तो वह न्यायसंगत नहीं होगा। हरेक को कम्पेन्सेशन बराबर दिया जाना चाहिये। कम्पेन्सेशन जो फिक्स किया गया है वह बहुत ज्यादा है। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूं दफा ३० जयपुर टिनेन्सी एक्ट की ओर; इसमें यह तो नहीं है कि खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये क्या करना पड़ेगा।

"Chapter "Division, Exchange and Acquisition of Holding"

इसमें अगर सरकार कोई जमीन public purpose के लिये देती है तो कम्पेन्सेशन निर्धारित किया है। दफा ३० सब क्लॉज (४) इस प्रकार है:—

"The compensation payable for disturbance shall be, in the case of a pattedar tenant, twice the annual rent payable in respect of the land acquired, and in the case of a Khatedar tenant, an amount equal to one year's rent therefor;"

यह है जो कम्पेन्सेशन प्रोवाइड किया गया है। खातेदार टिनेन्ट हो उसकी हालत में जितना सालाना लगान है उतना कम्पेन्सेशन के तौर पर दिया जायगा। पट्टेदार टिनेन्ट है त उसको

[श्री श्यामलाल गोयल]

दुगुना कम्पेन्सेशन दिया जायगा । इस बिल में पट्टेदार टिनेन्ट नहीं रखा है,सिर्फ खातेदार टिनेन्ट रखा है । इस तरह पुरानी जयपुर स्टेट के माफिक लगान के आधार पर ही कम्पेन्सेशन दिया जा सकता था । पर आज स्थिति यह है जो है,इसमें २० गुना कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है । क्या इतना ज्यादा कम्पेन्सेशन दिया जाना न्याय संगत है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इस पर सोचना है । क्लॉज़ १६ (बी) जिस पर कल बहस चल चुकी और सेक्शन १६ (सी) जिस पर आज बहस चल रही है इसको देखें तो नतीजा यह निकलता है कि सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को न सिर्फ खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये एबव एबरेज, एवरेज और बिलो एवरेज के लिये २० गुना, १८ गुना और १५ गुना लैंड रेवेन्यू उसे देना पड़ेगा बल्कि जो इम्प्रूवमेंट हो उसके लिये भी १५ या २० गुना देना पड़ेगा, और यह रकम कितनी होती है, इसे सोचना पड़ेगा । आज सरकार कह रही है कि वह सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देना चाहती है, पर ये जो प्रोविज़न्स इस बिल में हैं उनको देखते हुए जैसा कि अभी भाई चांदमलजी मेहता ने बताया क्या यह सही नहीं है कि ये प्रोविज़न्स सिर्फ दिखावे मात्र के लिये हैं, पब्लिक को यह केवल दिखाने के लिये है कि सब टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये इस बिल में ये ये प्रोविज़न्स रखे गये हैं । जितनी ऊंची दर कम्पेन्सेशन की इस अमेंडमेंट के जरिये प्रोवाइड की है वह इतनी ऊंची है कि कोई भी टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या सब टिनेन्ट न तो इतनी ऊंची रकम चुका सकता है और न टिनेन्ट ही बन सकता है । उसके पास न इतनी रकम हो सकती है कि वह कम्पेन्सेशन दे सके और खातेदारी राइट्स एक्वायर कर सके ।

नतीजा यह होगा कि इस बिल में जहां एक तरफ यह प्रोविजन मौजूद है टिनेन्ट, सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त खातेदारी राइट्स एक्वायर कर सकता है उसके साथ यह बिल्कुल निश्चित ही है । इतना ज्यादा कम्पेन्सेशन निश्चित किया गया है कि वह खातेदारी राइट्स एक्वायर कर ही नहीं सकता और जो खातेदारी राइट्स एक्वायर करेगा वह बहुत धनवान व्यक्ति होगा । इसके आगे का अमेंडमेंट है वह यह है कि अगर समय पर इन्सटालमेंट नहीं दे तो ऐसी सूरत में वह खातेदारी राइट्स से महरूम रहे । इसके लिए ओरिजिनल क्लॉज़ इस बिल का देखा जावे तो वह इससे ज्यादा अच्छा था, बजाय इस एमेंडमेंट के जो सदन के सामने रखा गया है ।

एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । वह यह है कि इस बिल में जहां पर रेन्ट्स काइन्ड (kind) में ही लेते हैं या बटाई से लिया जाता है वहां पर यह प्रोविजन किया गया है कि पर्टिकुलर खेत की फसल कूंती जावेगी और उस कूंते के अनुसार कीमत कायम की जावेगी । मगर ग्रोस प्रोड्यूस है उस पर प्राइस कायम अब की जावेगी और उसका १।६ हिस्सा लगान होगा उसका २० या १५ गुना मुआवजा लिया जावेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह रेन्ट प्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट है उसके सिद्धान्तों के खिलाफ है । उसमें ग्रोस प्रोड्यूस पर छठा बांटा नहीं रखा है । इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह कहां तक न्याय संगत है ? क्या इसका मतलब यह नहीं कि जिन टिनेन्ट्स को हटाने का इरादा सरकार का है, सब-टिनेन्ट्स को कम करने की सरकार की मंशा है, वह कभी पूरी होगी नहीं । वह बराबर सब टिनेन्ट रहेंगे और उनकी हालत बराबर बिगड़ती जावेगी । तो यह बात न्याय संगत नहीं ।

Page No.29

[श्री श्यामलाल गोयल]

एक बात जो इस अमेन्डमेन्ट में है और ओरिजिनल एक्ट में नहीं है वह गौर तलब है। उस पर क्लॉज़ (१६) सी, में यह प्रोविज़न किया गया है कि जो कलेक्टर रेन्ट मुकर्रर करेगा उसको पहले गजट में शाया करेगा। उस पर अर्जियें आवेंगी, उन पर ओब्जेक्शन लिये जावेंगे और उनको सुने जावेंगे और ओब्जेक्शन्स सुनने के बाद एप्लीकेन्टों को राइट्स अपील के दिये जावेंगे। ये जो स्टेच्युटरी प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है और अब आपने इसके जरिये कलेक्टर को फुल राइट्स (पूरे अधिकार) दे दिये हैं। कलेक्टर इस मामले में फाइनल ऑथरिटी है। कलेक्टर जो कुछ करे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। उसकी अपील भी नहीं, न कोई सुनने वाला है और मैं यह कहूँगा कि ओरिजिनल क्लॉज़ १६ (सी) है उससे तरमीम बहुत ज्यादा रिट्रोमेन्ट है और दिखावे के लिए ये टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त, सब टिनेन्ट के लिए हकूक दिये गये हैं। खातेदारी के हकूक में कोई टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं हासिल कर सकेगा। मैं ऐसे इम्प्रेक्टीकेबल प्रोविज़न का विरोध करता हूं और कहूंगा कि इसको पास नहीं किया जावे और जो एमेंडमेंट है उसको गौर से देखें कि जिस मकसद से यह बिल पास किया जाने वाला है वह मकसद किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकेगा। अगर इसको इसी प्रकार रखा जावेगा तो सरकार की जो मंशा है वह पूरी हो सकेगी।

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लाज़ १६ इस बिल का बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज़ है या यों कहना चाहिये कि यह इस बिल की जान मानी जा रही है और वाकई में यह इस बिल की जान ही बन गई है। हम प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं और कानून भी प्रगतिशील बना रहे हैं। क्लॉज़ १६ (ए) पास करके हम बड़ी वेग प्रगति पर पहुँच गये हैं। इतनी वेगता के साथ बढ़े हैं कि हम हिमालय की चोटी पर पहुँच गये हैं और अब उसके परे जाना बाकी रहा है। मेरा कहना यह है कि जिन जिन को सरकार ने खातेदारी राइट्स दिये हैं वे तो क्लॉज़ १६ (ए) से खत्म हो गये। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनको खातेदारी राइट्स किस तरह से मुफ्त में सब टिनेन्ट्स को दे दिये जावें। श्री नाथूरामजी का एमेन्डमेंट इस पर आया है कि खातेदारी राइट्स दिये जावें तो कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये। यह खुशी की बात है। लेकिन उस पक्ष के लोग हैं वे इस पक्ष के हैं कि खातेदार सब-टिनेन्ट को देने के लिये कोई पैसा नहीं लेना चाहिये और अगर देना चाहें तो नाम मात्र को देना चाहिये। यह एक ताज्जुब की बात है। हम हिमालय की चोटी पर पहुँच गये हैं, अब उधर दूसरी पार गिरना बाकी है ताकि हम फिर कम्युनिस्ट बन जावें, किसी के राइट्स एक्वायर करें और उसका पैसा नहीं दें। आप खुद खयाल करें कि खातेदार और सब टिनेन्ट की क्या पोज़िशन है? खातेदार की जमीन छुड़ा कर जबरदस्ती सब-टिनेन्ट को दे रहे हैं। आप खातेदार को कहते रहें कि Propritory राइट्स ऑफ प्रोड्यूस दिये हैं। वे सब कागजों में रहने के काम के हैं। अगर गवर्नमेंट की ऐसी नीति है तो मुझको यह कहना है कि यह नीति देश के लिये हानिकारक होगी। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि ये कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है वह इस बात को चरितार्थ कर रहा है कि

[राज श्री हिम्मतसिंह]

गवर्नमेंट खातेदार के आराजी खुदकाश्त को जिसके प्रोप्राइटरी राइट्स न मान कर सिर्फ ओक्युपेन्सी राइट्स ही मानती है। यदि राइट ऑफ कल्टीवेशन को भी बिला मुआवजा दिलाना चाहें तो पोज़िशन यह है कि इस तरह से उसके राइट ऑफ कल्टीवेशन को ट्रान्सफर करने में सरकार को क्यों दिलचस्पी होनी चाहिये ? इसमें पब्लिक पर्पज के लिये इन्तजाम करने की जरूरत कैसे आई है ? अगर सरकार जमीन को एक्वायर करती है पब्लिक पर्पजेज के लिये तो भी कम्पेन्सेशन दिलाना जरूरी है। लेकिन जब कि खातेदारों की तादाद लाखों में हैं तो क्या इस प्रकार जमीन दिलाना पब्लिक पर्पज माना जावेगा ? यह आपसी मामला है और इसमें इस प्रकार का पक्षपात करना बिल्कुल न्याय के खिलाफ होगा और जिस तरह से कम्पेन्सेशन का कानून बनाया जा रहा है वह बिल्कुल अनुचित है। अगर सब-टिनेन्ट को जमीन की जरूरत है तो या तो वह खातेदार से खुद खरीद ले या उसको कोई पुराना हक ऑफ कल्टीवेशन हो तो सरकार को चाहिये कि खास नियम बनाकर उसको हक दे दे। इसलिये एक दो साल का जो सब टिनेन्ट होल्डिंग की पोलिसी में आया हैं उसको जमीन मुफ्त में दिला देने से खतरनाक वातावरण पैदा हो जावेगा। और ग्रो मोर फूड केम्पेन के बजाय ग्रो लेस फूड कम्पेन शुरू हो जावेगा। आपने 'लेन्ड यूटिलाइजेशन बिल' पास कर दिया है इससे भी कई अड़चनें होंगी। खातेदार अपनी जमीन पड़त रखना अच्छा समझेंगे बजाय किसी दूसरे को देने के क्योंकि वह समझेगा कि अगर किसी को दी तो वह खातेदारी राइट्स एक्वायर करने की दरख्वास्त दे देगा और मुफ्त में जमीन उसको चली जावेगी। बहतर तो यह होता कि उसके ट्रान्सफर के लिए इस तरह के प्रोविजन्स नहीं रखे जाते लेकिन चूंकि एक अमेन्डमेन्ट प्रगतिशील कदम उठाने के खातिर श्री नाथूरामजी मिर्धा ने रख दिया है उसके पक्ष में मैं यही कहूंगा कि जहां तक कम्पेन्सेशन दिलाने का सवाल है तो बिला कम्पेन्सेशन के खातेदार की जमीन सब-टिनेन्ट्स को नहीं मिलनी चाहिए। कम्पेन्सेशन देना वाजिब है और मिलना चाहिए। यह नहीं हो कि सरकार अपनी इच्छा के माफिक दुगुना लगान, जैसी कि तजवीज़ हो रही है या हो सकती है, बगैर किसी मुआवजे के ट्रान्सफर कर दे खातेदार से सब-टिनेन्ट को यह अनुचित होगा।

मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार ने अभी ग्राम पंचायतें जगह जगह कायम करदी हैं। अगर जहां इस तरह के झगड़े पैदा हों तो क्या बहतर नहीं होगा कि उस गांव की पंचायत के मार्फत ही ऐसे झगड़ों को तय कर दिया जाय और इनसे ज्यादा लिटिगेशन का बोझा काश्तकारों पर न पड़े ? ग्रामपंचायतों से ही इस प्रकार के झगड़े तय कराने से उनको ज्यादा वाकफियत भी होगी और सही फैसला आपस में खातेदार और सब-टिनेन्ट को मिला कर कर देवेंगे। अगर यह तजवीज भी आपको पसन्द न आवे तो जो इस बिल का ओरिजिनल क्लॉज १६ (सी) है वही रखा जावे क्योंकि श्री नाथूरामजी मिर्धा ने अपने अमेंडमेन्ट में बारीकियां भर दी हैं। उन्होंने तीन तरह के क्लासीफिकेशन्स् किये हैं। क्लासिफिकशन्स् ऑफ लेन्ड बन्दोबस्त के वक्त पहले ही हो चुके हैं। जैसी जमीन है उसके हिसाब से कम्पेन्सेशन की तजवीज़ आसानी से हो सकती है।

[राज श्री हिम्मतसिंह]

दूसरी बात यह है कि इन्होंने अमेंडमेंट के आखरी हिस्से में किसी को २० टाइम, किसी को १८ टाइम और किसी को १५ टाइम मुआवजा दिलाने की तजवीज़ की है जो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज़ बनाना वाजिब नहीं है। जमीन के लगान के हिसाब से अपने आप एक ही रेट पर मुआवजा दिलाना चाहिये और यह वाजिब भी होगा क्योंकि कीमत जमीन की उस लगान के हिसाब से अपने आप बांटी गई है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कम्पेन्शेसन के देने के खिलाफ हाउस में वातावरण पैदा किया जा रहा है वह अनुचित है। माननीय मिनिस्टर महोदय भी विचार करके इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और काश्तकारों को (खातेदारों को) वाजिब कम्पेसेशन दिलाने का इन्तजाम करेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेन्डमेंट श्री नाथूरामजी मिर्धा ने क्लॉज़ १६ (सी) में रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

श्री जवानसिंह—ये शब्द सुनने को तो मिले।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आगे सुनिये।

जब श्री नाथूरामजी मिर्धा ने दफा १६ (ए) में अमेंडमेंट रखा था तो मैं समझता था कि उनका यह कदम बहुत प्रगतिशील है और इस किस्म की आयन्दा भी तरमीम इस टिनेन्सी बिल में हम देखेंगे, परन्तु मेरी आशा पूर्णतया निराशा में बदल गई, जब कि मैंने यह देखा कि उन्होंने एक तरमीम १६ (सी) में ऐसी प्रतिक्रियावादी रखी है जो उन जैसे व्यक्ति से इसकी आशा नहीं की जा सकती थी। जब बिल के सिद्धान्तों के विषय में चर्चा चल रही थी तो यह मानकर चल रहे थे कि हम लोगों ने भी और माननीय मंत्री महोदय ने भी यह बताया था कि fixity of Tenure इस बिल का खास उद्देश्य है और उसी के साथ साथ यह भी बताया गया था कि सब टिनेन्ट को भी खातेदार बनने के हकूक दिये जावेंगे, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को भी खातेदार बनने के अधिकार दिये जावेंगे और जैसी दफा १६ (ए) हमने पास की उसके मुताबिक जिस दिन यह कानून अमल में आयगा उस दिन से जो लोग जमीनों के ऊपर काश्त करते हैं "Otherwise than as a Sub-Tenant or Tenant of Khudkasht" उनको खातेदारी के हकूक दिये जावेंगे। अब वे लोग बचते हैं जो कि या तो बद किस्मती से सब टिनेन्ट हैं, या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हैं। लेकिन उनका पजेशन है वैसा ही हैं जैसा और लोगों का है जो इत्तिफाक से सीधी जागीरदारों से लेकर जमीन काश्त करते थे। जिस तरह से हमने उनको अधिकार दिया है उसी तरह से हम यह सोचते थे कि इन लोगो को भी अधिकार दिया जावेगा और अधिकार दिये जाने की बात तो इस बिल में प्रोवाइड भी की गई है। उसमें भी रेस्ट्रिक्शन्स

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

ये कि १२००) रुपये की आमदनी एक किसान परिवार को हो तो उतनी जमीन से वह बेदखल नहीं किया जावेगा और उतनी जमीन तक उसको खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था इस बिल में की जायगी और जो की भी गई है। लेकिन दफा १६ (सी) देखें तो वह सब फिजूल सी है। अगर (श्री मिर्धा के संशोधनानुसार) सब क्लॉज़ (बी) का भाग (४) देखें तो पता लगेगा कि :

"The price of each category of the land shall be fixed as follows:—

'Above average......Twenty times of the annual rent.

Average......Eighteen times of the annual rent,

Below average.........Fifteen times of the annual rent,"

सबसे पहले तो यह लोज़िक मुझको समझ में नहीं आयी कि जिसनें आपने २०, १८ और १५ गुना अलग २ रेट्स मुकर्रर की हैं जब कि जहां लगान केश में देने की बात है और सेटलमेंट ने अलग अलग लगान तय कर रखें हैं। जो जमीन above average है उसके लिए लगान ज्यादा है, जो (average) पर है उससे कम है और जो below average है उसका उससे भी कम है। तो फिर इस प्रकार रेशियो रखने पर जिसके पास अच्छी जमीन है और जो पहले ही से अच्छा लगान देता है उसको और केश अच्छे रूप में देना पड़ेगा। तो फिर यह डबल पेमेन्ट क्यों ? जो अच्छी जमीन है, दस बारह रुपये का लगान है उसके बजाय १५ गुना या २० गुना करना, मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं है और वैसे समझदारी की भी बात नहीं है। पहले ही ज्यादा पैसा देता है तो फिर उसको क्यों ज्यादा देने के लिए बाध्य किया जाय ?

अब दूसरी तरफ से आप देखें तो यह भी कहा गया है कि जिन जमीनों पर लगान काइन्ड के रूप में लिया जाता है उसका भी कम्पेन्सेशन छठे बांटे का आधार मानकर लिया जायगा जिसका मतलब यह हुआ, १८ गुना कम्पेन्सेशन देने का मतलब यह हुआ कि एक बीघा में कुल जितनी पैदावार होती है उसका तिगुना कम्पेन्सेशन के रूप में दिया जावेगा। तो अगर हम यह मानें कि एक पक्के बीघे में १५ मन अनाज होता है, चाहे जमीन में होता है, तो उसके सब टिनेन्ट को खातेदारी हकूक लेने के लिए उसके लिए ४५ मन अनाज देना पड़ेगा और अगर हम दस रुपया फी मन के हिसाब से फैलायें तो दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि एक सब-टिनेन्ट को खातेदारी हकूक लेने के लिए ४५० रुपया एक बीघा का देना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी सब टिनेन्ट को क्लॉज़ १६ (ए) के मुताबिक अगर २५ बीघा जमीन पर खातेदारी हकूक प्राप्त करने हैं तो वह किसी किस्म से साढ़े बारह हजार रुपया दे सकेगा क्योंकि साढ़े बारह हजार रुपये देकर उसको खातेदारी के हक मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं तो इसको एक तरह से यह कहूंगा कि उसको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं, वह सबटिनेन्ट ही रहना

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

पसन्द करेगा। लेकिन यह सारा मामला यहां पर खत्म नहीं होता। यह तो सिर्फ जमीन की कीमत है और अगर उसमें कुआ है तो हमें उसको कीमत अलग determine करनी पड़ेगी। अगर उसकी कीमत को डिटर्मिन करते हैं, जो तरीका उसका बताया गया है अगर एक किसान २५ बीघा जमीन चाहता है, सब टिनेन्ट की हैसियत से खातेदारी के हक लेना चाहता है, और प्रोपोर्शनेटली वह कुए का भी हक लेना चाहता है, तो साढ़े बारह हजार रुपया तो जमीन की कीमत का देना पड़ेगा और लगभग ६ हजार रुपया कुए पर अपने हक प्राप्त करने के लिये देना पड़ेगा। इस तरह से एक काश्तकार को २५ बीघा पक्के पर १८ ।। हजार रुपये खातेदारी हक लेने के लिये खर्च करने पड़ेंगे। माननीय मिर्धाजी ने जो तरमीम रखी है, जो अपने आपको काश्तकारों का हिमायती होने का दावा करते हैं और ऐसे संशोधन रखते हैं कि एक काश्तकार को एक बीघे के लिये खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये एक हजार रुपया देना पड़े। मैं यह कभी भी मान नहीं सकता कि उनकी यह मन्शा हो। दूसरे शब्दों में अगर इसको यह कहा जाय कि सब टिनेन्टस को किसी भी प्रकार खातेदारी के हक नहीं देना चाहते तो ज्यादा अच्छा रहता। यह तो सिर्फ दिखावे के लिए ही १६ ए.बी.सी. के प्रोवीजन्स रख दिये गये हैं, ऐसा मालूम देता है। जब खातेदार की परिभाषा पर बहस हो रही थी उस समय हमने यह उज्र उठाने की कोशिश की थी कि "land held as a Khudkasht and land recorded in settlement as Khudkasht", इसको हटा दिया जाय क्योंकि हमने उस वक्त यह कहा था कि सेटलमेन्ट रेकर्ड्स में बहुत गलतियां हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप बहुत सारी जमीन को गलती से खुदकाश्त में दर्ज कर दिया गया है और इस तरह से जो खातेदार टिनेन्ट हैं उनके लिये आज भी हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद है जो जमीन के नजदीक तक भी नहीं गये और अपने नाम जमीन को दर्ज कराली। पटवारियों से मिलकर या दूसरे छोटे छोटे कर्मचारियों से मिलकर जमीन अपने नाम करावाली और बिना काम के जागीरदार बने बैठे हैं। एक तरफ तो हम जागीरों का खात्मा कर रहे हैं और हमने उसके मुआवजे का स्टेंडर्ड रखा है, लेकिन हम उन आदमियों को जिन्होंने पटवारियों से मिलकर या दूसरे किसी तरीके से, जिस जमीन को अपने नाम करा ली, खुदकाश्त के नाम करा ली, उनको इतना कम्पेन्सेशन मिलने की व्यवस्था कर रहे हैं जितना कि हमने जागीरदारों को भी नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि यह हमारी कभी भी मन्शा हो सकती है। जो गल्तियां हुई उनको सुधारने के लिये भी आज हम यह मानते हैं कि जो जमीन में हल चलाता है या जो अपने हाथ से काश्त करता है उसको अधिकार दें लेकिन हम जब टिनेन्ट्स को और सब टिनेन्ट्स को खातेदारी के हक देने की सोचते हैं तो हमें उनकी आर्थिक हालत पर भी विचार करना पड़ेगा। आज उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वे इतना ज्यादा कम्पेन्सेशन देकर किसी किस्म से भी खातेदारी के हक ले सकें। इससे बहतर तो यह होता कि इसको वेस्ट (खरीज) जमीन बताते शायद जितनी जमीनें बारानी पड़ी हुई हैं उन जमनों को नये कुए खोदकर चाही कर सकते हैं। एक तरफ तो सरकार ग्रो मोर फूड कम्पेन चालू कर रही है, लोगों को तकावी दे रही है, सरकार कुए खुदवाने के लिये देने से मदद देती है, खेतों में साधन देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था करती है, उस पर इतना खर्च काश्तकारों का नहीं होता लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत साल से काश्त करते चले आ रहे हैं

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

सिर्फ बदकिस्मती से जिनके नाम सब टिनेन्सट् में दर्ज हैं या बदकिस्मती से टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त में दर्ज हो रखे हैं, क्या उन पर इतना बड़ा बोझ डालना उपयुक्त है ? यह बहुत विचारणीय विषय है। जो तरमीम श्री नाथूरामजी मिर्धा ने रखी है वे उसको वापिस लेंगे और वे यह विश्वास दिलायेंगे कि उनकी कभी भी मन्शा इस प्रकार का बोझ काश्तकारों पर डालने की नहीं थी।

इसके साथ साथ इसमें यह भी साफ नहीं कि जो लब्ज 'रेन्ट' यहां इस्तेमाल किया गया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि लेन्ड रेवेन्यु और रेन्ट की परिभाषा अलग अलग हैं। उसके मुताबिक लेन्ड रेवेन्यु उसे कहते हैं जो सिर्फ सरकार लेती है और रेन्ट की परिभाषा यह है कि किसी कन्ट्राक्ट के मुताबिक, एम्प्लाइड कन्ट्राक्ट के मुताबिक चाहे वह टिनेन्ट हो या सब टिनेन्ट हो लेन्ड होल्डर को देता है या देने का वादा करता है उसे रेन्ट कहते हैं। उस रेन्ट का २० गुना टिनेन्ट को या सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये देना होगा। वह रेन्ट जो टिनेन्ट गवर्नमेन्ट को डारेक्टलीपे करता है उसको इस बिल में लेन्ड रेवेन्यू के नाम से डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर आप यह मानें कि जो सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त रेन्ट देता हैं और उसका जो अनुमान बताया है अगर उसमें इसको जोड़ा जाय तो वह रकम और कई मात्रा में बढ़ जाती है क्योंकि खातेदार टिनेन्ट अपने सब टिनेन्ट से पहले आधा बांटा तक लेता था और १९५२ में छठा बांटा कर दिया गया, इससे पाँच साल के एवरेज से उसमें तीन साल का तो आधा बांटा आयगा और दो साल का छठा बांटा आयगा। तो उस हिसाब से जैसा कि मैं पहले प्रति बीघा की कीमत ४५०) रुपये बता चुका, अगर यह भी हिसाब उसमें जोड़ दिया जाय तो करीब ७००) रुपया प्रति बीघा रेन्ट लीगल तौर से समझें तो आकर पड़ता है। रेन्ट की जगह लेन्ड रेवेन्यू लिखा गया यह तो माननीय मिर्धाजी ही बतायेंगे, उनका दरअसल रेन्ट से क्या मतलब है ? रेन्ट जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है उससे मतलब है, या जिसको कोमन आदमी कहते हैं, लगान दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है, उसी से मतलब है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट श्री मिर्धाजी ने सदन के सामने रखा है वह प्रतिक्रियावादी है इसको नामन्जूर किया जाय और मिर्धा जी से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को वापिस लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अमेंडमेंट श्री नाथूरामजी मिर्धा ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने अमेन्डमेन्ट रखते वक्त यह नहीं देखा कि काश्तकारों की क्या हालत है ? जो हमने १६ (बी) क्लॉज़ मन्जूर किया है उस वक्त तो मिर्धाजी का अमेंडमेंट दूसरा था और अब सब क्लॉज़ (सी) में दूसरी प्रकार का दे दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो आप उन काश्तकारों को अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ उन काश्तकारों को मारना चाहते हैं। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। जो काश्तकारों को पहले अधिकार दे दिये हैं उसमें भी नाथूरामजी मिर्धा का अमेन्डमेन्ट था और क्लॉज़ (सी) के अन्दर भी इसी तरह का अमेन्डमेन्ट आना चाहिये था। यह जो अमेन्डमेन्ट उनकी तरफ से दिया गया है ऐसा

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मालूम पड़ता है कि उन्होंने दूसरे प्रान्तों के एक्ट को देखकर अमेंडनेंट नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रान्त का एक्ट भी नहीं देखा। अगर वे देखते तो सोच समझ कर अमेन्डमेन्ट देते। नाथूरामजी ने यह अमेन्डमेन्ट देते वक्त यह क्यों नहीं सोचा कि मैं कैसा अमेन्डमेन्ट दे रहा हूं जिससे काश्तकारों को नुकसान होने वाला है। जब कि आप काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिये सब टिनेन्ट्स को खातेदारी के हक दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनसे १८-१८, २०-२० गुना मुआवजा देने की बात रखते हैं यह कहां तक वाजिब है, यह सोचने की बात है। मिर्धाजी को अमेंन्डमेन्ट रखते समय यू. पी. का एक्ट देखना चाहिये था, जहां १० गुना मुआवजा दिया गया है, वहां पर १० गुना मुआवजा देने के बाद में सब टिनेन्ट्स को भी खातेदार के हक प्राप्त होजाने चाहिये। यू. पी. की जमीन राजस्थान की जमीन से बहुत अच्छी है, वहां पानी का साधन भी प्राप्त है उस जमीन के लिये। जब दस गुना मुआवजा काफी है तो फिर यहां २० गुना मुआवजा क्यों रखा जाता है? मेरी समझ में यह बहुत कम आता है कि २० गुना मुआवजा वे क्यों दिलाना चाहते हैं और उन्होंने इस प्रकार का अमेंडमेंट क्यों रख दिया है?

तो ऐसे उनको रखना नहीं चाहिये था। ऐसे तभी रखना था जब कि सरकार उन काश्तकारों को आज तक काफी फायदा देती और वह काश्तकार जब नाल बनाते हैं तो वह खुद के पैसे लगाकर बनाते हैं और इस पर जो टिनेन्ट हैं, वे अधिकार कर लेते हैं जिसका कि कुआ होता है और उसका अधिकार मान लेते है, थोड़ी सी लकड़ी वगैरह ले लेता है। तो ऐसी हालत में सब टिनेन्ट का तो बहुत नुकसान हो जावेगा और टिनेन्ट का बहुत ज्यादा फायदा हो जावेगा। ऐसी हालत में यह सेटलमेंट का जो कानून है उसके आधार को देखते हुए १० गुना मुआवजा भी दे कर लेंगे और पर्चा जो सेटलमेन्ट से दिया जावे उसका दस गुना मुआवजा तय कर लेंगे और सीकर की तरफ नाल बन्ट पर एक रुपये पर एक या दो या तीन दिया जाता है यह इस क्लॉज़ में तय करेंगे। सरकार या यह जो अमेन्डमेन्ट रखने वाले तय करेंगे तो ही काश्तकार का भला हो सकता है, नहीं तो उसका भला नहीं होने वाला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस टिनेन्सी बिल में अब तक जितने क्लॉजेज़ पेश हुये हैं और जिस तरीके से हमने जिस उद्देश्य को लेकर उनको पास किया है, इस धारा में जो अमेन्डमेन्ट हमारे माननीय मिर्धाजी ने प्रस्तुत किया है उसमें वह हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह संशोधन हमारे उस उद्देश्य के विपरीत है और हमारे इससे काश्तकार का कोई भला होने वाला नहीं है।

यदि आप उसकी वास्तविकता में जायेंगे और देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज भी जमीन की कीमत क्या है? और मैं तो यह समझता हूँ कि कभी भी इससे पता करके देखा जावे तो काश्तकार अपनी सात पीढ़ियों में भी इतने मुआवजे के बदले में खातेदारी हक नहीं ले सकता, फिर भले ही इनके पास में कितनी ही सस्ती से सस्ती जमीनें मिली हैं लोगों को।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आम तौर पर कोटा बूंदी की तरफ आप जावेंगे तो आपको मिलेगा, मैं खास तौर पर बूंदी के लिये कह सकता हूं, ऑथोरिटेटिवली कि अब तक खातेदारी हकूक काश्तकार को दस गुना मुआवजा देने पर मिलते रहे हैं। सेटलमेन्ट में और इसके बाद भी कई जमीनें ऐसी रही हैं कि जो सरकारी खाते में दर्ज की गई और उसके बाद उनको सब टिनेन्ट ने खातेदारी हकूक के लिए दरख्वास्त दी तो आम तौर पर यह रिवाज और सक्युंलर रहा कि १० गुना लगान ले लिया जावे और इसको खातेदारी हकूक दे दिये जावें। तो जब काश्तकार से दस गुना लगान लेकर खातेदारी हकूक मिल सकते हैं तो आज जिन जगहों पर बीस बीस गुना रेन्ट देना पड़ेगा क्योंकि उसमें रेन्ट का प्रयोग किया गया और न कि लैण्ड रेवेन्यू और लैण्ड रेवेन्यू से २० गुना भी वसूल करते रहेंगे। अगर आप एवरेज लगावेंगे तो लैण्ड रेवेन्यू का पांच टाइम्स लेने के बाद ये खातेदारी हकूक मिल सकेंगे।

तो इस सब टिनेन्ट को या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को फायदा पहुँचाने के लिये यह संशोधन नहीं है बल्कि इस बात के लिए है कि किस तरह उनको खातेदारी हकूक मिल न सकें क्योंकि वह कभी इतना दे नहीं सकेगा, क्योंकि वह समझता है कि मुझे इस पर से बेदखल तो किया नहीं जावेगा और मेरे हक जो कुछ भी हैं वे सुरक्षित हैं, तो फिर क्यों वह खातेदारी हकूक प्राप्त करने की कोशिश करेगा?

ऐसी सूरत में इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर इसमें आप रीज़नेबल कम्पेन्सेशन रखते या यहां तक कर देते हैं कि १० गुना ऑफ लैण्ड रेवेन्यू तक वह कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है और खातेदारी हकूक इस पर मिल सकते हैं तो किसी हद तक वह काश्तकार के फायदे की बात हो सकती थी, लेकिन २० टाइम्स और १५ टाइम्स रेन्ट को रखना बहुत खराबी की बात है और इससे काश्तकार का भला नहीं होने वाला है।

इस पर मेरा तो सुझाव यह है कि कम्पेन्सेशन के लिए १० टाइम्स आफ लैण्ड रेवेन्यू बहुत काफी है और इस क्लॉज़ में १० टाइम्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू देने पर खातेदारी हकूक सब टिनेन्ट को और टिनेन्ट आफ खुदकाश्त को मिल जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसमें यह जो व्यवस्था की गई है इस तरमीम के जरिये कि इस जमीन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाय। एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज, जैसा मेरे माननीय मित्र कपिलदेवजी ने कहा, पहले से यह यहां है। दर मुकर्रर हो चुकी है तो वह दर तो उस किस्म के मुताबिक मुकर्रर रहनी है इसलिये लैण्ड रेवेन्यू रख देते हैं तो अलग अलग तरह को जमीन में अलग अलग दरें फिक्स करने से कोई फायदा नहीं। एक फ्लेट रेट होनी चाहिये १० टाइम्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू।

अब सवाल यह आता है कि चाही जमीन के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिये या नहीं? इसके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं? और न कोई कुए का कम्पेन्सेशन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

देने की आवश्यकता है। नाल बन्ट वसूल कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है कुछ कम्पेन्सेशन। लेकिन जहां चाही जमीन का लगान वसूल किया जाता रहा है और लगान की दर चाही की दर से मुकर्रर है और इस प्रकार अब तक काश्तकार ज्यादा देता रहा है बारानी जमीन के मुकाबले में तो इससे अपने आप कम्पेन्सेट हो जाता है। अलग वसूल करने के बाद यह स्थिति होगी कि अगर वह बारानी दर से लगान दिया जाता रहा है तब तो जाकर उसको कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता होगी लेकिन चाही की रेट से अगर लगान दिया जाता रहा है, कुए का चाही की दर का और बारानी की दर में फर्क है उसे मल्टीप्लाई बाई टेन होगा, वह कुए की वेल्यू का कम्पेन्सेशन होगा। तो मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र श्री मिर्धा जी इस पर विचार करेंगे और साथ ही उनसे और मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा मैं कि इस पर पूरा पूरा गौर किया जावे और इस क्लॉज़ में यह रक्खा जाना चाहिए कि खातेदारी हक़ूक टेन टाइम्स् लैण्ड रेवेन्यू देने पर किसी भी खुदकाश्त टिनेन्ट को या सब टिनेन्ट को मिल सकेगी और इसमें खातेदारी हक़ूक दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री ईश्वरीसिंह—काश्तकार कानून बना तो हमने सोचा कि चलो गांव में रहने वाले काश्तकारों को फायदा मिलेगा और जमीन पर खातेदारी हक मिल जावेंगे। अब तो वह उम्मीद भी हमारी कम हो गई है। अभी जो तरमीम पेश की गई उस पर जैसे कपिलदेव जी ने बताया कि एक बीघा पर ४५०) रुपया कम्पेन्सेशन किसान को देना पड़ेगा इस खातेदारी हक को लेने के लिए। तो इसका तो मतलब यह हुआ कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया।

अब यू. पी. सी. पी. के कानून की बात कहते हैं। पर वहां जैसी जमीन है उस पर १० बीघा में एक काश्तकार अपना निर्वाह अच्छी तरह कर सकता है पर यहां राजस्थान में जैसी जमीन है उसमें कम से कम अगर किसी के पास १०० बीघा जमीन हुई तो मुश्किल से बारह महीने का खर्चा वह निकाल सकेगा। तो इस तरह की नकल करके अगर कानून हमारे यहां बनाया है तो मैं समझता हूँ कि यह कानून काश्तकार और गरीबों के लिये नहीं है और सरकार गरीब काश्तकारों को यह जमीन दिलाना नहीं चाहती, वह तो यह जमीन बिरला और टाटा सरीखे मोटे मोटे सेठों को दिलाना चाहती है क्योंकि कम्पेन्सेशन देने की बात जब की जाती है तो यह सारा खर्चा कपिलदेव जी के हिसाब से चार सौ साढ़े चार सौ रुपया बीघा पड़ता है और इतना पैसा गरीब किसान के पास कहां से आवे? न इतना पैसा देने को उसके पास होगा और न हक़ूक मिलेंगे उनको। तो वियां के मायं कोन्या आयो है। तो वियां आ चीज़ साफ है कि आ कानून सरकार बहुत अच्छो बणा रही है और रोजाना आ कहयों जाय के काश्तकारां के कब्जे में वी मां सूं एक इंच भी जमीन नहीं ली जायगी और मौजूदा लगाण है जिसूं एक पैसा बेशी नहीं लियो जायगो। और अब वी मांय आ चीज ला रखी है कि इयों को २० गुना कम्पेन्सेशन दियो जायगो वींका ४५०) रुपया होगा तो अब काश्तकार कूं इण चीज़ की उम्मीद नहीं राखनी चाहिये के वह पेला की तरह सूं काश्त कर सके है और इण चीज़ सूं न सरकार ने बेदखल करना पड़े और न कोई रुपया देना पड़े। काश्तकार अपने आप सूं बेदखल हो जासी और सरकार वी जमीन कूं जिने दिलानो चाहे है दिला सके है। जो नाथूराम जी ने आ तरमीम रखी है

[श्री ईश्वरीसिंह]

क्योंके नाथूराम जी लखपति घर में जन्म्योड़ा है। तो काश्त की कई दशा है वे जाणे नहीं और नाथूराम जी ने सरकार मिनिस्टर बणाने को वायदो कियो है तो इस तरह की कह दिया है। तो मैं जाणू के नाथूराम जी आपनी तरमीम ने वापस लेले। और सरकार जो सोच रही बहोत आछो बणाने की तो आ देखें कि इकांसूं आतंक नहीं फैले और काश्तकार काश्त कर सके और गरीबां के लिए कुछ जमीन वां ने भी मिल जाय।

श्री घीसीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय नाथूरामजी ने एक अमेंडमेंट सदन के समक्ष पेश किया है उसके बारे में कुछ इजहार करना चाहता हूं।

नाथूराम जी ने जो गैरखातेदार टिनेन्ट को खातेदार टिनेन्ट बनाने के लिए कुछ सुझाव ऐसे रखे हैं कि जिनमें उन्होंने कम्पेन्सेशन दिलाने की बातें कहीं है। उसके मुताल्लिक वैसे तो यह कानूनी मसला है और कानूनी मसले में मुझे फंसना नहीं है,यह तो वकीलन को काम है। मैं तो एक किसान आदमी हूं और किसान आदमियों का रहना गांवों में होता है तो गांव में जो देखते हैं, सुनते हैं या बरतते हैं उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

यहां हमारे राजस्थान में जितनी भी जमीनें हैं वह तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक जागीरदारों में, दूसरा धर्मादे में और तीसरा हिस्सा है राज में। तो यानि जब राज कायम हुआ तो उसके बाद में जागीरें मिली। राज कायम होने से पहले जागीरें नहीं मिलीं। राज कायम होने के बाद जागीरें मिली और जगीरें मिलने से पहले सारी की सारी बस्तियां और आबादी बसी हुई थी। और जब बस्तियां और आबादी पहले बसी हुई थीं तो जागीरदारों के लिए या धर्मादा के लिए कोई नाल करने या कुए बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह बस्तियां पहले से बसी हुई थीं। तो फिर कम्पेन्सेशन किस बात का दिलाया जाय। किस बात का मुआवजा जागीरदारों या धर्मादा वालों को दिलाया जाय जब कि बस्तियां पहले से बसी हुई थीं। उसके अन्दर चाही, बारानी जमीनें आदि सारी किस्म की गांव में जो जमीनें होनी चाहिये थीं वे मौजूद थीं। तो किस बात का जागीरदारों या धर्मादा वालों को मुआवजा दिलाया जाय ?

दूसरी बात यह है कि खातेदार जब रेवेन्यू का हासिल लेते थे तो गांवों के अन्दर जब नाल उन्होंने खुद अपने पैसों से बनाये थे और चाही का लगान उन्होंने आज तक उन गैर खातेदारों से वसूल किया था तो जब गैर खातेदारों से चाही का लगान उन्होंने वसूल किया है तो फिर उन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए कोई बात बाकी नहीं रह जाती है। मैं एक मिसल आप लोगों के सामने अपने भरतपुर की पेश करता हूं कि हमारे महाराज किशनसिंहजी ने जो जमीनें रहन थीं उनको खत्म किया और वह इस तरह से खत्म किया था कि उनका हिसाब लगाया गया था ब्याज का और उसके बाद ब्याज का हिसाब लगाने से जिसका कुछ थोड़ा पैसा निकला उसका पैसा अदा कराया गया और जिसके पास पैसा नहीं निकला उसकी रहन वैसे ही छोड़ दं

[श्री घीसीसिंह]

गई थी। तो अगर कोई नई नाल किसी जागीरदार ने कहीं बांधी है या किसी खातेदार ने बनाई थी और वह गैरखातेदार के पास चली गई है तो उसके मुनाफे का सारा हिसाब लगाकर उसको कुछ मुआवजा दिलाने की सूरत हो सकती है, वरना यह इतना झगड़ा फैल जायगा कि जागीरदार कहेंगे कि सारे गांव में जितने भी नाल हैं वह हमारे हैं और खातेदार कहेंगे कि वह हमारे हैं। सौ, दो सौ और पांच सौ बरसों से बने हुए हैं तो इसका हिसाब कैसे लगेगा कि वह किसकी नाल है ? आज किसी के पास लिखत-पढ़त है या नहीं ? लिखत-पढ़त है उसकी नाल तो सही मायने में हो सकती है लेकिन जिनके पास लिखत-पढ़त नहीं है उनका हिसाब कैसे लगेगा ? वे सौ, दो सौ और पांच सौ सालों की नाले हैं। इसलिए यह जो अमेंडमेंट नाथूरामजी ने पेश किया है उन्हें इसको वापिस ले लेना चाहिए। इसी में किसानों की भलाई और हमारे सदन की शोभा है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने काफी अर्से से खातेदारी हकूक गैरखातेदारों को किस प्रकार मिलने चाहिये, इसके बारे में बहस हो रही है। इस बहस और इस क्लॉज़ के मुताल्लिक जितने अमेन्डमेन्ट्स हैं उन सबका जिम्मा शायद नाथूरामजी के ऊपर आ पड़ा है और जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह नाथूरामजी के ऊपर अच्छी या बुरी बौछार कर रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि नाथूरामजी १६ (ए) में इतनी ऊंची से ऊंची चोटी पर जा पहुंचे; लेकिन उसके बाद जब (बी) और (सी) में पहुंचे तो एक दम से कुछ लोगों को तो यह शक होने लगा कि वे पहाड़ के पल्ली तरफ गिरेंगे और कुछ लोगों को यह शक होने लगा कि पहाड़ के इस तरफ गिरेंगे। रिवोल्यूशनरी और रिएक्शनरी दोनों ही तरह की शंका लोगों को इस तरमीम से पैदा हुई है। किसी माननीय सदस्य को यह शक होने लगा कि या तो उन्होंने इतने क्रान्तिकारी सुझाव १६ (ए) में लिये थे और अब उनको वह इस क्लॉज़ में सबको २० गुना या १८ गुना कम्पेन्सेशन दिला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे दिलाने का बहाना तो कर रहे हैं खातेदारी हकूकों का लेकिन वह दिलायेंगे नहीं इस कानून के मुताबिक जैसा कि उन्होंने संशोधन रखा है इस कारण से।

दूसरी तरफ कम्पेन्सेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए टिनेन्ट को जब कि उसने अपनी जमीन में इम्प्रूवमेन्ट किया है और जो कुछ माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें गैर इन्साफी टिनेन्ट के साथ नहीं करनी चाहिए और उन्हें जरूर इस तरह का कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए।

मैं भी इसके मुताल्लिक दो तीन बातें जो कि मुझे अखर रही हैं उसके बारे में कहना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि, जो कि बहुत से सदस्यों को अखरी है, उन्होंने जमीन का जो क्लासिफिकेशन किया है वह एक तरह से आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सेटलमेंट के अनुसार जो जमीन का क्लासिफिकेशन हो चुका है उसमें ऑलरेडी है कि चाही, बारानी, या जैसी भी क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ही उसका जो रेन्ट लिया जाता है वह ज्यादा या कम

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

लिया जाता है। उसकी लेन्ड रेवेन्यू में ही ज्यादा और कम का फर्क है तो फिर कम्पेन्सेशन देते समय उसका फर्क रखा गया तो यह अनावश्यक प्रतीत होता है।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो २० गुना, १८ गुना और १५ गुना रखा है यह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि जब जमीन का कम्पेन्सेशन देते हैं तो जमीन की किस्म देख कर देते हैं और किस्म से अधिक या कम ज्यादा रेट हो जाती है जैसे; चाही जमीन है; या जैसे उन्होंने रखा है एवरेज (average), एबोव एवरेज (above average), एण्ड बिलो एवरेज (and below average)। एवरेज का १८ गुना एबोव एवरेज का २० गुना, और बिलो एवरेज का १५ गुना रखा है। १८ गुना या १७ गुना, जैसा भी होना है अपने आप कानून के तौर पर होगा उसको स्पेसिफाई करना कि जो एबव एवरेज की है उसका २० गुना और जो एवरेज की है उसका १८ गुना और बिलो एवरेज है उसका १५ गुना; इस तरह से स्पेसिफाई करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

दूसरी बात इधर के बहुत से सदस्यों ने कही वह यह है कि जब कम्पेनसेशन दिया जाय उस समय जैसा कि मिर्धाजी का अमेन्डमेन्ट है, इम्प्रूवमेन्ट का कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब चाही जमीन में चाही का रेन्ट दे रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेन्ट अपने आप आ जाता है। मेरी समझ में जो कम्पेन्सेशन श्री नाथूरामजी ने रखा है वह अवश्य होना चाहिये। जो इम्प्रूवमेन्ट खेत में किया गया है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। इन दो-तीन बातों के साथ मैं कहूंगी कि जो क्रान्तिकारी कदम आपने उठाया और जिसे सबने महसूस किया है उसमें आगे जाकर २० गुना या १८ गुना करके अपने तरीके में परिवर्तन किया है उसको ठीक करके ठीक रास्ते पर लावें। यदि आपको अपनी शोभा बढ़ानी है तो इसको कम करना चाहिये, स्टेन्डरडाइज़ करना चाहिये और जमीन का क्लासिफिकेशन सेटिलमेन्ट से भिन्न किया गया है उसको हटाना चाहिए।

श्री बलबीरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मिर्धाजी ने क्लॉज १६ (सी) में अमेन्डमेन्ट रखा है उसका मुझे विरोध करना है। जब टिनेन्सी बिल के सिलसिले में सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग्ज़ चल रही थीं उस वक्त मैंने इस मुआवजे के मामले में Select comittee के मेम्बर्स लोगों को बताया था कि राजस्थान की स्थिति दूसरे प्रान्तों की जो स्थिति है उससे भिन्न है, उनकी हालत और तरीके जुदा जुदा हैं और आर्थिक स्थिति भी राजस्थान की बहुत खराब है। राजस्थान के किसान की हालत इतनी नाजुक है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वह इस तरह का मुआवजा देकर या इतना भारी कंपेन्सेशन देने के बाद में अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता और इसमें तो एक साफ बात है कि जितने भी बड़े चाहे काश्तकार हों, चाहे जागीरदार हों, कोई काश्तकार जागीरदार से भी ज्यादा खराब हो सकता है, उसकी मंशा ज्यादा खराब हो सकती है इसलिये जितने भी ऐसे लोग थे उन्होंने पटवारियों और तहसीलदारों से मिलकर रेकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर गलत तरीके से अपने आपको खातेदार बताया है और जो सब टिनेन्टस, शिकमी

[श्री बलवीरसिंह]

काश्तकार वर्षों से काश्त करते थे वे अपने अधिकारों से महरुम या वंचित रखे गये हैं। इसलिये मैं नहीं समझ सकता कि इस आजाद हिन्दुस्तान में, आज के इस हिन्दुस्तान में हम वही काम करने जा रहे हैं जो पहले के गुलाम भारत में या परतंत्र भारत में अंग्रेजों के वक्त में भी नही होती था। जब पुरानी जयपुर रियासत में सेटलमेन्ट हुआ उस वक्त जितने काश्तकार थे और जिनको खातेदारी अधिकार या राइट्स नहीं मिले थे उनको बगैर किसी मुआवजे के खातेदारी राइट्स दिये गये थे। तो मैं नहीं समझ सका कि अब जब कि हालत बदल गई, देश का नक्शा बदल गया, जब कि आज देश में प्रजा का, जनता का राज्य है उसमें भी १०० में से ६० लोग सब टिनेन्ट हैं, उनमें से एक को भी खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे बावजूद इसके कि वे वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं और अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं। २० गुना, १८ गुना या १५ गुना मुआवजा का नाम लेकर उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता जाता है। मेरी मान्यता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का कोई किसान इतने भारी मुआवजे को देकर कोई शिकमी काश्तकार या सब टिनेन्ट खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिये यदि आपकी मंशा यह है कि सब टिनेन्ट्स को बेरोजगार करना है, उनको बरबाद करना है तो अलग बात है नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इस अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लीजियेगा। और मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह की तरमीम रखें जिसमें सब टिनेन्ट्स व शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त कराने के लिये कानून में व्यवस्था हो जिससे लोग कहें कि वाकई में कोई कानून बन रहा है जो प्रगतिशील कानून है व एक क्रान्तिकारी कानून है जिससे गरीबों को ज्यादा फायदा होगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस तरह के कानून पास करते समय ज्यादा लोगों के हित की बात सोचें और थोड़े लोगों के हित की बात नहीं सोचें और गरीबों और शिकमी काश्तकारों को अधिकार दिलाने की बात सोचें। अंत में मुझे यही निवेदन करना है कि श्री मिश्राजी अपनी तरमीम वापिस ले लें और सदन उसके बाद विचार करे कि इन गरीब शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस क्लॉज़ को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में दो विचार-धाराएं सुनने को मिलीं। हमने जब यह स्वीकार कर लिया कि चाहे सब टिनेन्ट हो चाहे टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हो, इन दोनों को हमें खातेदारी राइट्स देने हैं और यह स्वीकार अभी पूर्णतः नहीं हुआ है लेकिन जहां तक सदन में कल बहस हुई थी उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि जिन सब टिनेन्ट्स और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स मिलने हैं वे राइट्स किस प्रकार दिलाये जांय? इन अमेन्डमेन्ट्स के जरिये भी और आज जो भाषण हुए उन दोनों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई माननीय सदस्य इस बात के विरोध में नहीं हैं कि सब टिनेन्ट्स या टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त जो उनको खातेदारी राइट्स एक्रू accrue कराते समय, उस खातेदार या जागीरदार को कम्पेन्सेशन नहीं दिलाया जाय। लेकिन प्रश्न इस बात का उपस्थित होता है कि जो राइट्स दिलाये जांय उनके बदले

[श्री भैरोंसिंह]

में कितना कम्पेन्सेशन दिलाया जाय, किस प्रकार दिलाया जाय, और उसका असेसमेन्ट किस प्रकार हो ? यह बात सोचने की है। जहां तक जमीन में इम्प्रूवमेन्ट का प्रश्न उपस्थित होता है, कल सदन में गंभीरता से उस पर विचार किया गया, उसमें ज्यादा सदस्यों का यह मत रहा कि जो इम्प्रूवमेन्ट्स जमीन पर किये गये हैं और जिनके द्वारा किये गये हैं उन लोगों के दिमाग इम्प्रूवमेन्ट्स के बारे में और इम्प्रूवमेन्ट्स के जरियों का उपयोग करने के लिये विश्वास का निर्माण करना आवश्यक है और यह भी आवश्यक हो जाता है कि जो इम्प्रूवमेन्ट्स जागीरदार या खातेदार की तरफ से जिस जमीन में किये गये हैं उन इम्प्रूवमेन्ट्स का मुआवजा उनसे दिलाया जावे जिनको खातेदारी राइट्स मिल रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि जब इम्प्रूवमेन्ट के मुआवजे की बात जब आती है तो उसके साथ और भी चीजें हैं जिनका मुआवजा दिलाना आवश्यक हो जाता है।

तो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। इम्प्रूवमेंट का मुआवजा दिलायें तो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, इम्प्रूवमेंट का मुआवजा वहीं तक सीमित है कि जो कुछ पैसा उसने उस जमीन में इन्वेस्ट किया है, उसका मुआवजा दिला दिया, पर जो उसके जीवन निर्वाह का साधन, जीवन निर्वाह का ढांचा बना हुआ था उस जमीन की काश्त से या काश्त के लगान से, तो उस ढांचे को दूर कर रहे हैं तो उसको दूर करते समय उसे कैसे रिहेबिलिटेट करना है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। आज यह रिहेबिलिटेशन का प्रश्न जागीरदारों के लिये और दूसरे खातेदारों के लिये समान रूप से आता है। ऐसा नहीं है, कि केवल जागीरदारों के लिये ही आता हो। अगर लोभ लालच के जरिये या और और तरीकों से जागीरदारों ने इन्द्राज अपने नाम करा लिये हैं, उन्हीं की यह समस्या हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह प्रश्न बड़े बड़े काश्तकारों के लिये भी है। जो जागीरदार नहीं होते हुए भी लोगों से लगान के रूप में वसूली लिया करते हैं उनके लिये भी यह प्रश्न है। इस प्रकार यह मुआवजा जागीरदारों तक ही नहीं, खातेदार टिनेन्ट्स पर भी यही दृष्टिकोण रखते हुए इस मामले पर विचार करना है। अतः इसे गंभीरता से सोचना है। एक तरफ से मुआवजा दे दिया तो रिहेबिलिटेशन का भी इन्तजाम करना होगा। उसने दूसरों से काश्त करवा कर या सीरी की हैसियत रख कर काश्त करता था, उसको जमीन से दूर करने जा रहे हैं और इसमें एक साल, दो साल या दस साल के एक्च्युअल कल्टीवेटर को अधिकार दे रहे हैं और दूसरे से सारे राइट्स ले रहे हैं तो प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस आदमी से कमाई के साधन ले लिये तो उसको कमाई के साधन क्यां दें ? यदि कमाई के साधन नहीं देते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यह उसके साथ अन्याय होगा।

आज हम कहते हैं कि सब टिनेन्ट को अधिकार दे दिये जायं। यह सिद्धान्ततः ठीक है, जो काश्त करे उसी को सारे के सारे राइट्स दे देने चाहिये,पर अन्याय दूसरी तरफ होता है। जिस आदमी के जीवन निर्वाह के साधन छीने, उसके रिहेबिलिटेशन के सिवा उसके जीवन निर्वाह का क्या सहारा

यह तो हो नहीं सकता कि उस जमीन पर फिर से उसका कब्जा दिलाया जावे, पर जो न्याय संगत व्यवहारिक साधन हैं वह तो उसके लिये जुटावें। तो जो राइट्स उससे ले रहे हैं उसके ऐवज़

[श्री भैरोंसिंह]

में उसे कुछ न कुछ दें जिससे वह समाज में जीवित प्राणी के नाते साधन जुटा कर जीवित रह सके। यह प्रिन्सिपल तो सब ने स्वीकार किया है कि कम्पेन्सेशन उसे देना चाहिये। कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाय, यह सब कुछ सेक्शन १६ (सी) की उपखण्डों में दिया है। जितने प्रोसीडिंग दस वर्ष की सीविल या रेवेन्यु कोर्ट की डिक्री के माफिक ओक्शन किये जाते हैं और उसका ऐवरेज़ निकालते हैं उसी तरह कलेक्टर को अधिकार दे दें कि वह कम्पेन्सेशन मुकर्रर कर दें। जहां मूल क्लॉज़ों का प्रश्न आता है तो यह प्रश्न आता है कि कलेक्टर चाहे तो एक गुना, दो गुना और चाहे तो बीस गुना मुआवजा दे दे। इसमें कहीं यह सीमित नहीं है कि कलेक्टर इतने से ज्यादा नहीं दे सकेगा। या इतने से कम नहीं दे सकेगा। इस मूल विधेयक की इन धाराओं में यह सबसे बड़ी खामी निगाह में आती है। सीमा के सवाल को इसमें और एड कर दिया जाय तो माननीय श्री नाथूरामजी मिर्धा का संशोधन कोई अच्छा साबित नहीं होगा और यह एक अच्छा क्लॉज़ बन जायगा। जहां सेटलमेंट नहीं हुआ वहां इस तरह का कम्पेन्सेशन मुकर्रर करें, २० गुना, १८ गुना और १५ गुना हो। लगान निकालने जो तरीका उन्होंने रखा है वह उनकी दृष्टि से न्यायसंगत हो सकता है, पर मेरी निगाह से व्यावहारिक नहीं है। राजस्थान में सेटलमेंट हो रहा है और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में राजस्थान का सेटलमेंट पूरा हो जायगा, नहीं होगा तो समेरी सेटलमेंट के जरिये, सर्किलरेट के जरिये से, नेबरिंग के सेटल्ड इलाके से, सेटल्ड एरिया के रेट के मुताबिक, उन्हें एवरेज मान कर उस समेरी सेटलमेंट में रेट का एसेसमेंट कर सकेंगे। फिर दस गुना, बीस गुना या इस तरह का मुआवजा दे दें। पर जहां अनसेटल्ड एरिया का सवाल आता है वहां यह बड़ा जटिल है। कई लोगों को भले ही यह अच्छा लगे और वे लोग समझें कि यह कानून बनने से यह एवरेज निकल जायगा, पर हमने यदि आज राजस्थान में जैसा कि इस अमेंडमेंट में जिक्र है मुआवजे की रकम दस साल के लगान, बंटाई या केश के रूप में जो किसान से लिया गया उसका बंटाई के रूप में एवरेज निकालेंगे तो काश्तकारों में बगावत की भावना और सब टिनेन्ट्स में असंतोष की भावना फैलेगी और सरकार के खिलाफ जितनी कार्यवाही करनी है वह करेंगे। पर उनको मौका नहीं देना है और जिन लोगों का अधिकार ले रहे हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करना है, इन दोनों को ध्यान में रखना हैं। एसेस्ड सर्किल रेट के आधार पर या ज़हां पर्चे तकसीम हो चुके हैं उनके आधार पर उनको कम्पेन्सेशन दें जिनके राइट्स छीन कर सब टिनेन्ट्स का दे रहे हैं। यह प्रेक्टिकल भी हो सकता है।

सवाल यह है कि कितना कम्पेन्सेशन देना है ? जिस समय १९५२ का लैंड रिफोर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्पशन एक्ट (Land Reforms and Jagir Resumption Act, 1952) आया ज़ो उसी कांग्रेसी सरकार ने वह कानून बनाया था। वह था कि जागीर एरिया में काश्तकारों को खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकेंगे, तभी मिलेंगे जब कि १० (टेन) टाइम्स उनकी सालाना आमदनी का जागीरदार के पास जमा करायेंगे। राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महा सभा के बीच जो समझौता हुआ था तो क्षत्रिय महासभा ने लिखा कि इसको स्पष्ट किया जावे तो लिखा था कि:—

'We agree to this 10 nt.'

[श्री भैरोंसिंह]

वे काश्तकार उसी समय खातेदार हो सकते थे जब कि दस गुना दे देते। जागीरदारों ने न्याय को सामने रख कर मंजूर कर लिया कि जब जागीरें देकर त्याग किया है तो इसको भी छोड़ते हैं। तो जागीरदारों ने जागीरें छोड़ने के साथ साथ जो यह त्याग किया है यह भी बड़ा सराहनीय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जहां इन लोगों ने इतना त्याग किया है वहां यह भी सोचना पड़ेगा कि जो जीवन निर्वाह की ज़मीन है उसके राइट्स दूसरों को दे दें तो उसके एवज में उसे कम्पेन्सेशन जो दिया जाय वह कितना देना पड़ेगा ? ज़ब यहां कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है तो वही दलील सामने आती है कि कम्पेन्सेशन दस गुना से कम नहीं हो सकता, जागीर एरिया में दस गुना जमा कराना पड़ेगा।

अल्टीमेटली हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दस गुना कम्पेन्सेशन दिलाना चाहिये। अगर आपको दस गुना मुआवजा दिलाना है तो आपको अल्टीमेटली इस पोइन्ट पर पहुँचना है कि इसको दस गुना मुआवजा दिलाना है। अगर इससे दस गुना की पूर्ति नहीं होती तो उनकी दलीलें कुछ और हो सकती है। मगर मैं समझता हूं कि दस गुना मुआवजा दिलाया जावे तो काफी होगा।

दूसरी चीज यह हो सकती है जैसे माननीय राजस्व मंत्री ने बताया था कि जो लोग १२ साल से लगातार काश्त करते आ रहे हैं उन लोगों को बिना मुआवजे के अधिकार देना है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें यहां कहीं हैं उनको कानूनी रूप में लावेंगे। अगर इस क्लॉज़ में नहीं तो इसको आगे एडजस्ट करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए मैंने यह दलील दी है कि दस गुना मुआवजा ठीक होगा। अगर यह दस गुना मुआवजा किसी हालत में कम हो तो यह ग्यारह गुना या बारह गुना तक हो सकता है जिससे कि उनको रिहेबिलिटेशन में सहायता मिले। दूसरे प्रान्तों में जैसे यू. पी. में दस गुना मुआवजा खातेदारी से जागीरदारी एबोलिशन पर भी लिया गया है। जागीरदार फन्ड है उससे एक साथ उन लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है। जिन्होंने जमीन को छोड़ दी। तो यह तो हमें मान कर चलना ही होगा कि यू. पी. और दूसरे प्रान्तों में कम्पेन्सेशन दिलाया है और कम्पेन्सेशन का दिलाना आवश्यक है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और यहां पर भी दिलाना मैं समझता हूं कि न्यायोचित और ठीक होगा। इसलिए मैं श्री नाथूराम जी से कहूंगा कि वे इसको या तो वापिस ले लें या दूसरा पेश करके ओरिजिनल बिल है जिस पर बहस हो रही है उस मूल क्लॉज़ में संशोधन कर दें और रख दें कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना मुआवजा कलेक्टर दे सकता है। यदि इस मूल धारा को हमने लिया तो इससे मैं समझता हूं कि लिटिगेशन बहुत कम हो जावेंगे। यह मान कर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि श्री नाथूरामजी मिर्धा इसको वापिस ले लें तो ठीक है, वरना मैंने जो विचार सामने रखे हैं उसको मंजूर करें तो इसको लिया जा सकता है।

Page No.45

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं केवल कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जवाब देने के लिए नहीं; यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—कहिये।

मोहनलाल सुखाड़िया—इस धारा के सम्बन्ध में जो चर्चाएं चल रही हैं उनसे मुझे ऐसा मालूम होने लगा रहा है कि हम वस्तु स्थिति से दूर होते जा रहे हैं। मुआवजा कितना हो और कितना नहीं, इस प्रश्न को कड़ी दृष्टि से विचारा जा सकता है और इसका निर्णय ठीक तरह से किया जावे,यह ठीक है। लेकिन हमारे सामने दलील यहां तक बढ़ते बढ़ते पहुँच गई है कि बिना मुआवजे के सब टिनेन्ट को जमीन दे दी चाहिये। लेकिन जब हम इस प्रकार की दलीलें देते हैं तो हम भारत के संविधान को भूल जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं और ऐसी बातें कहने लगते हैं जो असंभव सी हैं। भारत के संविधान में एस्टेट होल्डर्स के बारे में कम्पेन्सेशन तय कर दिया जावे, इस सम्बन्ध में कोई बन्दिश नहीं है। लेकिन खातेदारी राइट्स और प्रोप्राइटरी राइट्स लेने पर उनको मुआवजा निश्चित तौर से देना होगा। हम विचार करते हैं, तब यह कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये। उस समय समय हम एक पक्ष को लेकर ही धारा पर सोचते हैं लेकिन हमें यह सोचना हैं कि इसका कहां कहां असर पड़ेगा और किन किन पर पड़ेगा ? इन सारी बातों पर विचार करके ठीक से देखें। इसका मतलब यह नहीं कि जो हम फैसला करेंगे उसका असर गंगानगर के किसानों पर नहीं होगा। जो हम फैसला करेंगे वह गंगानगर के उन व्यक्तियों पर भी असर डालेगा जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं ! उनको भी अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ जगह नालबन्द का अलग अधिकार चलता है और जहां चाही जमीन है वहां कूए भी होते हैं, वे भी लिये जा सकते हैं। कुछ इरिगेटेड जमीन जिनकी कीमत मारकेट वेल्यू पर अगर ली जावे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है और कम से कम ८००) रुपये फी बीघा होगी। मगर यों ही ली जावे तो १५०) रुपयों से ज्यादा नहीं होगी। इसलिये हमें इस पर गंभीरता से विचारना हैं। अगर इस बात को विचार कर सोचें कि कोई मुआवजे की बात पर विचार नहीं करना है तो मैं समझता हूँ कि गलत रास्ते पर हम चले जावेंगे ? हमको यह सोचना है कि एक साल जिस व्यक्ति ने जमीन कमाई है उसका क्या मुआवजा है ? जिसकी जमीन में कुए हैं और दो साल कमाई है उसको क्या मुआवजा मिलना चाहिये ? इस बात पर हमें सोचना है, इसलिये में यह कहूंगा कि जो दलीलें हमारे सामने आई है कानूनी तौर से और तथ्य के आधार पर, मैं उन पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। मैंने यह दृष्टिकोण इसलिये दिया है कि खातेदारी के हक लेने चाहिये औरउसके एवज में कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिये,यह बात गलत है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में जो दुर्गति होती थी वही सामने आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में चाहे जब बिना मुआवजे के जमीन से बेदखल किया जा सकता था। मगर इस बिल में तो निश्चित तौर से सिक्योरिटी दी जा रही है। अब यह प्रश्न है कि मुआवजा क्या होगा और विधान के अनुसार उसको क्या मुआवजा मिलना चाहिये और वह किस प्रकार अपना मुआवजा वसूल कर सकेगा, इस पर विचार करना है। उनको उचित कम्पेन्सेशन देना लाजमी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना है। माननीय उपाध्यक्ष, कुछ समय इस पर और कानूनी दृष्टि से विचार होना चाहिये कि राजस्थान भर पर इसका क्या असर होगा? इसके बाद अन्त में मैं अपना जवाब पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज १६ सी फिलहाल मुल्तवी रखा जाता है। क्लॉज १६ डी लिया जाता है। श्री किशनलाल शाह।

श्री वेदपाल त्यागी—एक और है साहब '१६ सी सी'

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपध्यक्षजी, अभी इस सदन धारा १६ (सी) पर चर्चा चल रही थी और उस धारा पर माननीय मंत्री महोदय ने जवाब देने के लिए आगे का समय लिया है। उसके बाद में मैं अर्ज करूं कि धारा १६ (सी) थी, उसमें इस बात की चर्चा था कि एक शिकमी काश्तकार को या एक खुदकाश्त के काश्तकार को खातेदारी हकूक हासिल करने के लिए कुछ न कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। तो यह व्यवस्था उस धारा १६ सी में थी। एक नई धारा और मैं मेरे इस संशोधन के जरिये इस टिनेन्सी बिल में जुड़ाना चाहता हूं। उसका नम्बर मैंने अभी १६ सी. सी रखा है। वह क्लॉज़ यह बताता है कि कम्पनसेशन क्या होगा? वह सारी विगत इस धारा के जरिये से मैं इस कानून में जुड़ाना चाहता हूं! यह क्लॉज़ इस प्रकार है :—

'The amount of compensation payable by the tenant of khudkasht or sub tenant to landholder shall consist of-

(a) where any right in well or other improvement is granted without auy khatedari right in land, the value of such well or improvement as determinded in accordance with the provision of section I6 B,

(b) where khatedari right in land is granted, the amount of compensation at the rate determined by the collector under the last preceding section, and

(c) where khatedari right in land and in well or other improvements is granted, the total amount of compensation tnlopayable under parts (a) and (b)."

यह खण्ड इस बात को साफ करता है कि जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह कम्पेन्सेशन क्या होगा, किन किन धाराओं के नीचे किस तरह से केलक्युलेट किया जायगा? इससे साफ मालूम हो जायगा कि एक खातेदार किसान से, खुदकाश्त होल्डर से एक शिकमी काश्तकार को या खुदकाश्त के काश्तकार को खातेदारी हकूक हासिल करने के लिए जो इम्प्रूवमेन्ट है, उनका जो कम्पन्सेशन है या जमीन है उसका जो कम्पेन्सेशन है वह किस तरह से, किन किन क्लाजेज़ के नीचे, किन किन

Page No.47

[श्री नाथूराम मिर्धा]

अधिकारियों द्वारा केलक्यूलेट किया जायगा। यह पूरा कम्पेन्सेशन का स्वरूप इस क्लॉज़ में बताया गया है और सब क्लॉज़ेज़ ए. बी. सी. हमने पीछे डिस्कस की हैं। उनके कम्पेन्सेशन का क्या टटोल होगा, यह इस क्लॉज़ में साफ किया गया है। इसलिए यह क्लाज़ बहुत अहम है और जरूरी क्लॉज़ है और इसके वास्ते इसको इस बिल में शरीक किया जाना चाहिए, सारी बातों को साफ करने के लिए। तो यह एक मेरा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और सारी तस्वीर को साफ करने के लिए इसको सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—इससे आगे का खण्ड ले लिया जाय। उन सब का जवाब मैं एक साथ ही दे दूंगा।

खण्ड १६ डी

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १६ डी, श्री किशनलाल शाह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह (वि० सं० ८१)

(अनुपस्थित)

श्री एच. के व्यास

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—I beg to move the following amendment to clause 16D:—Add the following proviso at the end of sub-clause (5) :—

[श्री चांदमल मेहता]

'Provided that on the occurrence of famine or scarcity in any area or an agricultural calamity affecting the crops of any one, the Snb-Divisional Officer may suspend the above preceedings for one year."

अध्यक्ष महोदय, इसका सब क्लॉज़ (५) इस प्रकार है:—"If the instalments are in arrears for two years the Collector may after giving the defaulter an opportunity of being heard cancel the order granting khatedari rights to him and direct that he may be evicted from such land and that it may be restored to the land-holder on such conditions as he may deem fit."

उपाध्यक्ष महोदय, इस उपखन्ड (५) में ऐसी व्यवस्था है कि यदि दो साल तक इन्स्टालमेंट कोई सब टिनेन्ट अदा नहीं करे तो उसके बाद में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह उस जमीन को वापिस लेन्ड होल्डर को लौटाने के आदेश दे दे। मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मकसद यह है कि राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां हर दूसरे, तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है और एक अकाल के बाद दूसरा अकाल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक किसान के लिये इतनी कम पैदावार हो सकती है कि वह दो साल तक इन्स्टालमेन्ट अदा नहीं कर सके। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वह अपने मवेशी लेकर कहीं बाहर चला जाय और ऐसी प्रोसिडिंग्स को सुनने का जो मौका दिया जाय तो उस समय वह मौजूद न हो सके और कठिनाई न रख सके, तो इस क्लॉज़ के माफिक उस पर दो साल का इन्स्टालमेंट चढ़ जाता है और उसके सामने यह कठिनाई आ सकती है कि उसकी जमीन इस वजह से चली जाय। मान लीजिये दो साल का इन्स्टालमेन्ट तो अदा कर दिया और फिर दो साल के अन्दर अदा नहीं किया तो जो पहले साल का रुपया अदा किया है इसके बारे में भी एक दिक्कत पैदा होगी। तो इस तरह से इस क्लॉज़ द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। मैंने इस अमेंडमेंट के जरिये यह बताने की कोशिश की है कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाय, कोप में नुक्सान हो जाय, अकाल हो जाय तो इस प्रकार की कार्यवाई की जमीन लेन्ड होल्डर को लौटा दी जायगी, एक साल के लिए मुल्तवी रख दी जाय। मैं आशा करता हूँ कि यह एक आवश्यक संशोधन है और माननीय मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से सोचेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा बिल का जो १६ (डी) क्लॉज़ है उसमें भी मेरा एक संशोधन है। १६ वां (डी) क्लॉज़ इस बात को बताती है कि उस खातेदार किसान से या खुदकाश्त होल्डर से शिकमी काश्तकार को या खुदकाश्त के किसान को खातेदारी हक़ हासिल करने के लिए जो कम्पेन्सेशन ऊपर की क्लॉज़ों में तय किया जा चुका है उसको किस तरीके से सरकार या सब डिविज़नल ऑफिसर वसूल करे और खुदकाश्त होल्डर को या लेन्डहोल्डर को दिलाये। तो उसका तरीका इस क्लॉज़ में दिया हुआ है। मौजूदा जो क्लॉज़ १६ (डी) है उसमें पांच क्लॉजेज़ हैं।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

मैं यह सोचता हूँ कि १६ क्लॉज़ (डी) में जो संशोधन मैंने रखा है वह संशोधन जैसा कि इसी धारा के ए. बी. सी. और नया डबल सी क्लॉज के ऊपर रखा है उस हिसाब से संशोधन मैं रखने जा रहा था वह संशोधन इसी क्लॉज के १६ वें डी के रूप में फिट इन नहीं होता। इस लिये वापिस उन क्लॉज़ों को ध्यान में रखते हुए १६ डी. में जो मेरा संशोधन है वह सारी धाराओं को कवर करेगा जो कि संशोधन मैंने एक नये क्लॉज़ के रूप में दिया है। मौजूदा १६ डी है उसको हटाकर मैं यह चाहता हूँ कि नया क्लॉज़१६ डी. इस रूप में सम्मिलित किया जाय। वह खण्ड में पढ़कर पहले सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

"Mode of payment of compensation :—(1) On the determination of ompensation in accordance with the provisions of this Chapter, the Sub-Divisional Officer shall order payment of the compensation in the following manner, that is to say :—

(a) Where the compensation relates only to the right in a well or other improvement. the Sub-divisional Officer may order the amount of compensation to be paid in a lump sum or divide the amount in a suitable number of annual instalments not exceeding six, having regard to the following matters, namely :—

(i) the amount of compensation payable ;

(ii) the paying capacity of the person liable to pay the compensation, and

(iii) such other matters as may be prescribed.

(b) where any instalment of compensation payable under sub-clause (a) remains unpaid, it shall be realised as an arrear oI land revenue by the Sub Divisional Officer and paid to the person entitled to receive the payment of the same ;

(c) where any compensation is payable for the grant of Khatedari right in land with or without the right in a well or other improvement, the amount of such compensation shall be payable in lump or divided into instalments in the manner provided in clause (a) :

(d) if the amount of compensation payable under clause (c) remains unpaid in whole or in part for a period exceeding three months from the date of its falling due, the amount already paid to the londholder shall be refunded to the tenant of Khudkasht or sub-tenant, as the case may be ;

[श्री नाथूराम मिर्धा]

Provided that where the landholder applies to the Sub-Divisional Officer for the adjustment of instalments already received by him against any arrear of rent or against any advance payment of rent, the Sub-Divisional Officer shall pass such order as he thinks fit and proper.

(2) All compensation payable under this Chapter shall be deposited in the Tehsil for payment to the landhloders concerned and the Tehsildar shall pay the same to the landholders in the prescribed manner."

यह जो तरीका मैंने इस मौजूदा क्लाज़ १६ डी. में बढ़ाया है उन सारी बातों को कन्सीडेशन में लेते हैं तो अलग अलग कम्पेन्सेशन का कम्पोजीशन लिए मैंने क्लॉज़ १६ सी. सी. बढ़ाया है और उसमें अलग कम्पेन्सेशन का तरीका है उस कम्पेन्सेशन को कितने इन्स्टालमेन्टस में बांट सकते हैं तो उस क्लॉज़ में छः इन्टालमेन्ट में उसको बांटा हैं। इसके बाद की धारा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे कितने इन्स्टालमेंट्स में बांट जाय,यह भी व्यवस्था रखी गई है और कम्पेन्सेशन का टोटल अमाउन्ट कितना हो, यह भी रखा है। आफिसर को इन्स्टालमेन्ट के लिये तकाजा करते वक्त यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिकमी काश्तकार है या जो खुदकाश्त से खातेदारी के हक लेने जा रहा है उसकी इकोनोमिक कन्डीशन कैसी है, कितनी है, इस बात को मद्देनजर रखना होगा। इस बात के लिये सरकार ज्यादा रूल बना सकती है और तय कर सकती है। किस किस बात का ध्यान रखा जाय,सारा प्रोवीजन इस क्लॉज़ में बताया गया है। जैसा कि अभी श्री चान्दमलजी मेहता ने कहा कि इन्स्टालमेंट आदि देने में तकलीफ होती है तो लैन्ड रेवेन्यु का जो रेमिशन होता है उसको जनरल बातों में इन्क्लूड किया जा सकता है। "Such other matters that may be proscribed" "such other metter "में इन्क्लुड किया जा सकता है। इस धारा का 'ए' क्लाज और 'बी' क्लाज है इम्प्रूवमेन्टस के कम्पेन्सेशन के सिलसिले में और क्लॉज़ १६ बी कम्पेन्सेशन जमीन के मुतल्लिक है

"Where any instalment of compensatlon payable under Sub-clause (a) remains unpaid, it shall be realised as an arrear of land revenue..."

यह भी है कि अगर कोई किसान इरादतन इन्स्टालमेन्ट न दे और खातेदारी के हक लेना चाहता है तो उससे भी लेन्ड रेवेन्यु के तरीके पर वह वसूल किया जा सकता है, लैन्ड रेवेन्यु वसूल करने का तरीका ही रीजेनेबल तरीका है। इन सारे क्लॉज़ों का सार क्लाज १६ की डी में जो मैंने संशोधित रुप में रखा है कोन्सीक्वन्सेज की चीजें हैं वे सब आ जाती हैं। मैंने जो संशोधन रखा है उसमें साफ सुथरे तरीके से इन सब बातों का वर्णन किया है,मौजूदा क्लॉज के बनिस्बत। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस साफ सुथरे हुए क्लाज को जो कि मैंने रखा है सहर्ष स्वीकार करेंगे।

Page No.51

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मिर्धाजी ने रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, अगर सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास किये हुए क्लॉज़ को देखा जाय और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको देखा जाय और उन दोनों को मिलाया जाय तो विदित होगा कि जिस प्रकार १६ ए. बी. सी. पहले पास हुई हैं, जो संशोधन रखे हैं, उससे स्पष्ट है कि किस प्रकार सब टिनेन्ट, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की मुश्किल कर दी गई है। वह खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता। १६ डी. जो सिलेक्ट कमेटी ने रखा था उसमें इन्स्टालमेंट ओब्लिगेटरी रखा था। यहां इन्स्टालमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह से खातेदारी के हकूक प्राप्त करना काश्तकारों के लिये आसान हो गया था। इम्प्रूवमेन्ट्स के लिये जो कम्पेन्सेशन देने का क्लॉज़ १६ के (सी) में रखा है उसके लिये एस. डी. ओ को डिस्क्रेशनरी पॉवर दिये गये हैं, वह मर्जी चाहे तो इन्स्टालमेन्ट में डिवाइड कर सकता है, मर्जी चाहे न करे। जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसका किसान विरोध करते थे, और यदि हम इस क्लॉज़ को मानते हैं तो यह किसानों के लिये बहुत घातक क्लॉज़ होगा। पहले जो सिलेक्ट कमेटी ने क्लॉज़ रखा था अगर कोई इन्स्टालमेंट की रकम दो साल तक पे नहीं करे तो वह खातेदारी राइट एक्वायर नही करेगा और तीन महिने के अन्दर इन्स्टालमेंट का पार्ट पे नहीं करे तो उसको खातेदारी राइट नहीं दिया जायगा। इस तरह से पहले सिलेक्ट कमेटी का क्लॉज़ पास किया है, उसके अन्दर एरियर ऑफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं, उसके अन्दर कम्पेन्सेशन की हद रख दी गई है, उसको एरियर ऑफ लेन्ड रेवेन्यू के समान वसूल कर सकेगा। खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह एरियर ऑफ लेन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल नहीं किया जायगा! जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि यहां हर दो साल के बाद काल पड़ता है। पहले जो क्लॉज़ रखा था उसमें भी खातेदारी राइट एक्वायर करने वाले पर कम्पेन्सेशन की रकम देना बोझ मालूम देता था। अब इम्प्रूवमेंट्स पर अधिकार हांसिल करने और खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का भी बोझ है। अगर तीन महिने में इन्स्टालमेन्ट की रकम पे नहीं करता है तो वह खातेदारी के हकों से वन्चित हो जायगा। ऐसा किसान जिसके पास रहने को न झोंपड़ा है, न जिसके पास कुछ मवेशी रूपी धन है, वह कहां से उस रकम को जुटा सकता है। अगर हम ऐसे किसान के लिये जो दीन-हीन अवस्था में है तीन महीने में यदि वह इन्स्टालमेंट की रकम नहीं जमा कराता है तो उसको खातेदारी के राइट नहीं दिये जायेंगे, मैं मानता हूँ कि, यह प्रोविजन बहुत खतरनाक होगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट जो इसमें लाया जा रहा है इसमें यह दृष्टिकोण निहित है कि जो सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स देने का प्रोविजन रखा है वह क्लॉज़ दूसरी तरफ से उसका विघटन करता है।

यदि उनके लिए बहुत मुश्किलें नहीं पैदा करनी हैं और वे खातेदारी राइट्स एक्वायर करें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मिर्धाजी द्वारा यह जो संशोधन रक्खा गया है उसे नामन्जूर किया जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो मैं जितना जानता हूं मिर्धाजी काश्तकारों के हिमायती हैं, पर आज जिस तरह का संशोधन उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया है

[श्री वेदपाल त्यागी]

उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अपने उस रास्ते को भुला दिया है। मैं नहीं समझता कि उनका यह कहना कि काश्तकार को यह संशोधन और ज्यादा सहायता देने वाला साबित होगा, कैसे ठीक हो सकता है ?

माननीय मिर्धाजी ने जो संशोधन १६ सी. में रक्खा था उसके अनुसार कितना कम्पेन्सेशन काश्तकार के द्वारा दिया जावेगा उसमें इसका जिक्र था।

लेकिन जब वे एक कम्पोजीशन में हो जाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप कम्पेन्सेशन तय करें और अदा किया, किस प्रकार किया जावे इसके लिए भी दो तरीके रक्खें कि कुओं का कम्पेन्सेशन एक तरह से दिया जावे और जमीन का खातेदारी राइट देने का एवजाना देने के लिए कम्पेन्सेशन दूसरी तरह से दिया जावे।

और अगर इस प्रकार से पढ़ा जावे तो दो तरीके हैं भी नहीं, दोनों का एक ही तरीका बताया गया है। इसलिये ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे किसान का भला नहीं बल्कि नुकसान होगा।

पहला तो नुकसान यह है कि इसमें आपने सब डिविज़नल ऑथोरिटीज़ को अधिकार दिये हैं कि चाहे तो लम्प-सम में दिलावे और चाहे तो इन्स्टालमेंट में दिलावे। यह एक ऐसा अधिकार अफसर को दे दिया गया है जिसका दुरुपयोग होगा तो काश्तकार के लिए होगा और काश्तकार को इससे तकलीफ होगी।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो रक्खी है उसमें यह है कि तीन महीने तक अगर कोई इन्स्टालमेंट ड्यू हो जाता है तो जितना अदा कर चुका है उसे काश्तकार को वापिस दिला दिया जावेगा, पर यह नहीं लिखा कि जमीन का फिर उस सूरत में क्या होगा ?

इसलिये यह अधूरा तो है ही पर जिस रूप में यह रक्खा गया है उस तरह से किसी काश्तकार के हित में भी नहीं है बल्कि उसको और दिक्कतें पैदा करने वाला है।

जो क्लॉज़ इसमें रक्खा गया है १६ डी, सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार उसको रक्खा है, वह स्पष्ट है। इसमें दोनों तरह के कम्पेन्सेशन एड कर दिये जाते हैं। कम्पेन्सेशन जब एक बार निर्धारित कर दिया जाता है कि कूए की एवज में इतना दिया जावेगा और खातेदारी राइट्स के लिए इतना दिया जावेगा और इन दोनों का बराबर साथ-साथ अदा करने का एक तरीका रक्खा गया है तो इसमें यह जरूरी नहीं कि दोनों को अलग अलग रक्खा जाना चाहिए था। अगर दो तरह का कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है तो जो माननीय नाथूराम जी मिर्धा ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें भी

Page No.53

[श्री वेदपाल त्यागी]

उनको पे करने का, दो तरह से पे करने का, सवाल नहीं उठता है। पर जिस वक्त पेमेन्ट का सवाल आवेगा दोनों एक ही तरह से दिया करेंगे। यह नहीं कि इसको अलग दे रहे हैं और उसको अलग प्रकार से अदा कर रहे हैं।

ऐसी हालत में १६ डी. जो क्लॉज़ रक्खा है वह उपयुक्त है।

अलबत्ता परबतसर से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने जो संशोधन इसमें रक्खा है उसको मैं सपोर्ट करना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान की हालत ऐसी है कि प्रतिवर्ष यहां किसी न किसी इलाके में अकाल पड़ता रहता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर तीसरे साल अकाल की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी अकाल की स्थिति में अगर वह इन्स्टालमेंट समय पर न दे सके तो उसको इसके लिये रियायत दी जानी चाहिये, उसको छूट मिलनी चाहिये कि वह कम्पेन्सेशन बाद में दे दे। इस प्रकार का प्रोवीजन होना चाहिये।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन माननीय मिर्धाजी ने रक्खा है उस संशोधन पर विचार करने के लिये जो मूल क्लॉज़ १६ डी. है उसको देखा और इस संशोधन, जो प्रस्तुत किया है, में जो चेन्जेज़ किये गये हैं उनको देखा तो सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है जैसा कि और क्लॉजेज़ के सम्बन्ध में कहा गया कि सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को जो खातेदारी राइट्स दिये जाने वाले हैं वे तभी मिल सकते हैं जब कि वह कम्पेन्सेशन अदा कर दे, इन्स्टालमेन्ट में या लम्प सम में।

जो मूल क्लॉज़ १६ डी. है तो उसमें सिर्फ एक तरह का प्रोविजन किया गया है इस कम्पेन्सेशन के लिए और वह यह है कि वह ६ एन्युअल इन्स्टालमेंट में दिये जावेंगे। इसमें लम्प सम का प्रोविजन नहीं है।

दूसरी बात यह इसमें स्पष्ट है कि अगर कम्पेन्सेशन समय पर नहीं दिया जावे तो एक साल तक कुछ नहीं होगा और आगे दो साल तक न दिया जावे तो इसके बाद उसको नोटिस दिया जावेगा, इसके बाद भी अगर न दे तो उससे मालूम किया जावेगा कि इसकी कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से अभी न दे सकता हो, तो वह रीजन बताये और अगर इस हालत में भी वह सेटिसफेक्टरी एक्सप्लेनेशन न दे सके और ऐसा मालूम हो कि वह जान बूझकर नहीं देना चाहता है तो यह अख्तियार होगा सरकार को कि उससे खातेदारी राइट्स ले लिये जावें वरना प्रोविजन यह है कि जिस प्रकार लेण्ड रेवेन्यू दिया जाता है उसी प्रकार कम्पेन्सेशन देने के लिए उसे कम्पेल किया जावेगा। यह है ओरिजिनल क्लॉज़ का १६ डी। अब इसके बजाय चेन्ज करके दो तरह से इस कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट इस न्यू अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया है।

[श्री श्यामलाल गोयल]

पहले तो इम्प्रूवमेंट्स का है। इम्प्रूवमेंट के कम्पेन्सेशन के लिए पहली चीज तो यह की कि इसमें लम्प सम रख दिया गया और दूसरी बात यह की कि छः एन्युअल इन्स्टालमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। छः इन्स्टालमेंट किये जा सकते हैं, ज्यादा नहीं और इसके लिए पेमेन्ट में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो यह भी इसमें प्रोवाइड किया गया है कि इसको लैंड रेवेन्यू की तरह रियलाइज़ किया जा सकता है।

जहां उस कम्पेन्सेशन के पेमेन्ट का सवाल है, जो कि जमीन के लिए दिया जावे या जमीन पर के कुए या और इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जावे, उन पर भी यह प्रोविजन हो कि लम्प सम में या ज्यादा से ज्यादा छः एन्युअल इन्स्टालमेंट हो सकती है। पर इस समय जो सबसे बड़ा चेन्ज किया गया है मूल क्लॉज़ से वह यह कि अगर तीन महिने तक जो ड्यू डेट है उससे कम्पेन्सेशन या इसकी कोई किश्त अगर नहीं दी जावेगी तो उसके खातेदारी राइट्स जो हैं उनसे उसको डाईवेस्ट कर दिया जावेगा।

मैं कम से कम इस एमेंडमेंट को बिल्कुल नहीं समझ सका कि इसका मतलब क्या है? जब कि मूल क्लॉज़ में एक साल का टाइम दिया गया था कि एक साल के बाद ही लेन्ड रेवेन्यू की तरह मुआवजा वसूल किया जा सकता है, और अगर एक साल में वसूल नहीं हो तो दो साल का टाइम दिया गया था। उसमें यह प्रोवाइड किया गया था कि उसके बाद में उसको ऑपोर्चुनिटी दी जायगा कि वह एक्सप्लेन करे कि क्यों नहीं उस कम्पेन्सेशन को दिया और उसके हियर करने के बाद ही उसके खातेदारी राइट्स डाइवेस्ट किये जायेंगे, तो ऐसा क्या कारण आ गया कि इतना बड़ा एमेंडमेंट रख दिया गया कि अगर कम्पेन्सेशन जमीन का नहीं दिया जाय तो ड्यू डेट के तीन महीने के बाद ही बगैर किसी ऑपोर्चुनिटि के दिये हुए एकदम उसके खातेदारी राइट्स उसमें डाइवेस्ट कर दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा रिएक्शनरी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, इस अमेंडमेंट का क्लीयर मतलब यह है कि सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स देने की बात सरकार के ध्यान में बिल्कुल है नहीं।

फिर एक और सबसे बड़ी बात जो इस संशोधन में की हुई है वह यह है कि इस ओरीजिनल मूल धारा में यह राइट दिया गया कि सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को अपॉर्चुनिटी दी जाय कि वह एक्सप्लेन कर सके कि क्यों नहीं वह समय पर कम्पेन्सेशन दे सका, लेकिन इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं। माननीय मिनिस्टर ने इस अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज १६ डी की सबक्लॉज (ए) के पार्ट ३ में "such other methods as may be prescribed" इसको लेकर यह बतलाने की कोशिश की है कि फेमिन इयर्स या ऐसे इयर्स आयें उन इयर्स के लिए इसमें प्रोविजन है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि इसको अगर पूरे तौर से देखा जाय तो बिल्कुल इसकी यह मन्शा नहीं है। यह तो सबक्लॉज (ए) में सिर्फ इस बात का प्रोविजन किया है, वह तरीका बतलाता कि किन तरीकों से या किस तरह से सब डिवीजनल ऑफिसर्स इन्स्टालमेंट का पेमेन्ट फिक्स करेगा,

[श्री श्यामलाल गोयल].

और इन्स्टालमेंट फिक्स करते समय या पेमेन्ट इन लम्प सम फिक्स करते समय वह किन किन बातों को देखेगा ? यह उस वक्त की बात है जिस वक्त कि इन्स्टालमेंट का तरीका तय किया जायगा। इन्स्टालमेंट फिक्स करने के बाद समय पर इन्स्टालमेंट नहीं दिये जाने का कारण यह हो कि फेमिन डाट हो गया हो या ऐसे वजुहात हो गये हों; जैसे टिड्डियां आ गई हों, ऐसे स्पेशल केसेज हो गये हों, या केलेमिटीज हो गई हों तो उस सूरत के लिए कोई प्रोविजन नहीं है जो कि इसमें होना लाजिमी था।

एक और खास बात जो कि इसके अन्दर देखी गई है वह यह है कि जहां इस अमेंडमेंट में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर तीन महीने तक कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय तो खातेदारी राइट्स नहीं दिये जायेंगे, और साथ ही यह भी है कि लेन्ड होल्डर को जो भी कम्पेन्सेशन दे दिया गया है वह रिफन्ड कर दिया जायगा और उसमें यह और कर दिया गया है कि अगर लेंड होल्डर के कोई एरियर्स हैं तो उनमें एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर किसी लैंड होल्डर को; एक सब टिनेन्ट ने मान लीजिये कि ६ इन्स्टालमेंन्ट मुकर्रर हुई, उसने इस पांच इन्स्टालमेंट दे दी और छठा इन्स्टालमेंट नहीं दिया तो उस सूरत में खातेदारी राइट्स तो उससे छीन लेंगे। मगर लेन्ड होल्डर्स को जो जो कम्पेन्सेशन दिया गया है वह उस कम्पेन्सेशन को नह लौटायें तो क्या होगा ? इसके लिए इसमें एक डेफिनिट प्रोविजन इस बारे में होना चाहिए था। लेंड होल्डर जिसको कि कम्पेन्सेशन काश्तकार की तरफ से दिया जा चुका है वह अगर कम्पेन्सेशन सबटिनेन्ट को नहीं लौटाये उस सूरत में भी एरियर्स ऑफ लेन्ड रवेन्यू की तरह उससे वसूल किया जा सकता है। तो इन तमाम बातों को सदन के सामने रखते हुए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह अमेंडमेंट रखा गया है वह जो मूल क्लॉज़ था उससे बहुत ज्यादा रिट्रोग्रेट और रिएक्शनरी है; इसको कतई किसी हलत में मन्जूर नहीं किया जाना चाहिए। इससे तो मूल क्लॉज़ ही अच्छा है।

श्री गोपीलाल यादव—मेरे माननीय मित्र श्री मिर्धाजी पर बड़े आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि उनकी मदद करूं।...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं मदद आप ?

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं मदद इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने रिएक्शनरी प्रोपोजल दिये हैं जिससे कि किसानों को नुकसान होगा, बल्कि मैं यह बताना चाहता हूं कि क्लॉज़ १६ डी जो बिल में है और १६ डी के बजाय जो अब श्री मिर्धाजी ने पेश किये हैं उनमें से सबटिनेन्ट के हक में कौनसा है यह चीज अलग है, मैं कौनसे को पसन्द करता हूं। जो इल्जाम लगाये जा रहे हैं कि उन्होंने रिएक्शनरी प्रोपोजल किये हैं तो मैं यह बता देता हूं कि जो ओरिजिनल बिल में दिया हुआ है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने इस क्लॉज़ के जरिये

[श्री गोपीलाल यादव]

किसानों को फायदा देने की कोशिश की है और ऐसे तरीकों से देने की कोशिश की है कि जिससे खातेदार और लेन्डे होल्डर को यह मालूम हो कि हमें बड़ा फायदा होगा, हम इसको एक्सेप्ट करलें, स्वीकार लें, और किसानों का सोचिए तो बड़ा जबरदस्त उनको फायदा है। इस इरादे से उन्होंने यह चीज रखी है। मैं आपको यह बतला दूं कि कहां कहां इसमें फर्क है।

देखिये, सबसे पहले इस सब क्लॉज़ १६ डी के सब क्लॉज़ (१) को:

सब क्लॉज़ १ में यह है—"On the determination cf compensation, the Sud-Divisional officer shall divide the amount in suitable annual or half-yearly instalments spread over a period of not exceeding six years,"

इसमें एक आदमी की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कैसी उसकी हालत है, इसके लिए इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन मिर्धाजी ने जो चीज रखी है "...having regard to the following matters, namely:

"(i) the amount of compensation payable,

(ii) the paying capacity of the person liable to pay the compensation, ard

(iii) such other matters as may be prescribed.
Now as may be prescribeb"......

श्री सोहनलाल भटनागर— This is for compensation for improvement and not for Khatedari rights.

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) दोनों के लिए एप्लाई करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब दोनों के लिए एप्लाई करता है तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कोशिश की कि यहां उसके साथ रियायत की जाय और इन्स्टालमेंट में बांटने वाला अफसर इस बात का ध्यान रखे कि उसकी पेइंग केपेसिटी कितनी है, कितना दे सकता है और किस तरीके से दे सकता है? In the manner Provided in clause (a). इस हिसाब से, ओरीजिनल क्लॉज़ से, इस संशोधन से, यह ज्यादा लिबरल हो ही गया।

अब आगे चलिए। "(2) Each instalment shall be received in the Tehsil... यह कोई खास चीज़ नहीं है।

"(3) If the land-holder fails to take payment of the deposit within one year of its receipt without reasonable cause the Collector may credit the amount as

[श्री गोपीलाल यादव]

Government income". यह तीसरी उन्होंने छोड़ दी और वाकई यह बात अनजस्ट थी कि अगर लेन्ड होल्डर रिसीव नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट इनकम कैसे हो जाय। आप अपने पास ओन बिहाफ ऑफ दी लेन्ड होल्डर उसको गवर्नमेंट ट्रेज़री में डिपॉजिट कर सकते हैं जो कायदे से खुद ब खुद हो जायगा। वह अगर सब सेक्शन (२) से हो जाता है तो खुद सोचियेगा कि एकदम उन्हें छोड़ने में अक्लमन्दी क्या है? वह गवर्नमेंट इनकम नहीं हो सकती है। अगर हो गई तो हाईकोर्ट में रिट आयेगा और बहुत मुमकिन है कि उससे किसानों को फायदा हो जाय। यहां दोनों ही किसान है, खातेदार और गैरखातेदार दोनों ही किसान हैं। यहां उन्होंने खातेदार टिनेन्ट्स को हैल्प करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट क्यों उनके रुपये को ख्वामख्वाह हजम कर ले। तो इस खण्ड को डिलीट करने से किसानों को मदद पहुँची है।

इसके बाद अब सबसेक्शन (५) पर आजाइये—

"(5) If the instalments are in arrears for two years......"

बहुत सारे सदस्य इस चीज़ से निराश हो रहे हैं कि "two years" रखे हुए थे वहां और यहां रख दिये "थ्री मन्थ्स" (three months) कितना जुल्म किया है? लेकिन आप उसके अन्दर देखिये कि उन्होंने रखा क्या है? यह कि लेने वाला इन्स्टालमेंट नहीं दे और दो साल के अन्दर पे नहीं करता है तो उसके रूपये वापिस नहीं दें और जमीन छीन लें; लेकिन मिर्धाजी ने इन्स्टालमेंट का कुछ जिक्र नहीं किया, सारे कम्पेन्सेशन का कहा है और उसे भी छः साल में बांटा है। इसके अन्दर देखियेगा कि इसमें किसानों का हित किया है इस तरीके पर यह चीज़ रखकर। उसमें है अगर दो साल तक इन्स्टालमेंट नहीं दे तो सब कुछ छीन लें। छः साल तक बेफिक्री से बैठा रहे और इन्स्टालमेन्ट्स न दें और छः साल के बाद जब तीन महिने और ऊपर निकल जायेंगे तो जमीन छिन सकती है और उसमें भी यह बात है कि अगर छः साल के अन्दर कुछ रूपये दिये हैं तो कह सकता है कि रुपये वापिस दे दो और अगर नहीं दिये है तो मौज करो। छः साल तक जमीन उसके पास रहेगी और उसको छः साल तक कुछ देने की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। यह संशोधन कहां तक सही है, कहां तक गलत है, किसको इससे फायदा पहुंचता है, किसको नहीं पहुंचता इस पर प्रकाश डालते हुए यह बताता हूँ कि इसका यह अर्थ है कि खातेदार टिनेन्ट को कुछ नहीं मिले और सब टिनेन्ट्स जमीन के मालिक बन जांय।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—उपाध्यक्ष महोदय, मिर्धाजी के संशोधन पर विचार हो रहा है, मैं भी संशोधन के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय श्री गोपीलालजी यादव ने सुन्दर शैली में मिर्धाजी का पक्ष लिया है और टिनेन्ट्स को सब्ज बाग दिखाया है। यदि उनकी भाषा में माना जाय, जैसा कि वास्तव में है नहीं, वह तो क्षणिक काल के लिये सब टिनेन्ट्स के मन को हर लेने के लिये सुन्दर शैली में अपने विचार उन्होंने रखे हैं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरह

Page No.58

[श्री कंवरलाल जेलिया]

की धारा है उसमें साफ लिखा है कि छः वर्षों में अपना मुआवजा अपनी सुविधा के हिसाब से किश्तों के रूप में पेमेन्ट कर सकता है और एक वर्ष तक यदि वह किश्त अदा नहीं कर सकता और दो वर्ष के बाद भी एरियर जमा नहीं करा सकता तो उसको नोटिस दिया जायगा जिससे परिस्थिति खातेदार को वापिस जमीन देने की आ सकती है और काश्तकारों को जमीन से हटाने का मौका मिल जाता है। राजस्थान की विषम परिस्थिति को देखते हुए मैं यह कहूँगा कि आज भूमिहीन किसानों के पास भूमि की कमी है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। आज हम उनके लिये कानून बनाने जा रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि जिनकी आर्थिक दशा गिरी हुई है और जो खुद जमीन जोतने वाले हैं उनके हाथ में जमीन जाय और वे काश्त करें जिससे हमारे राष्ट्र की पैदावार बढ़े और समाज का उनके साथ न्याय हो। मैं समझता हूँ, ऐसी धारा में मुआवजा चुकाने की छः वर्ष की मियाद है वह कम नहीं है और जिस तरह छः किश्तें रखी हैं जिनको सुविधा के अनुसार अदा करेंगे तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जैसी कि माननीय मिर्धाजी ने रखी है। मिर्धाजी के संशोधन को देखते हुए मुझे संदेह हो रहा है कि यदि तीन महिने एक किश्त निकलने के बाद निकल गये तो जिस सब टिनेन्ट के कब्जे में जमीन हैं वह वापिस खातेदार के पास चली जायगी। यह सब टिनेन्ट के साथ कैसा न्याय होगा ?

श्री गोपीलाल यादव— मैं आपकी बात समझा नहीं।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं पहले कह चुका हूँ कि माननीय यादवजी ने सब्ज बाग दिखाया है। जिस सुन्दर शैली में सब टिनेन्ट्स को सब्ज बाग दिखाया हैं कम से कम मैं उसमें आने वाला नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि क्लॉज़ १६ डी वाजिब है और बहुत सोच समझ कर रखा गया है।

श्री गोपीलाल यादव—क्या जमीन छिन जाना वाजिब है ? इसको समझो। जमीन छिन जायगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह आपको विचारधारा है। श्री मिर्धाजी ने जिस बात को दिखाया है यदि वे खुलासा करते हैं तो मुझे मानने में इन्कारी नहीं होगी। माननीय मिर्धाजी ने अपनी भाषा में पेश किया उसको साफ करें तो मुझे ऐतराज नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, कंपेन्सेशन देने के विषय में आपत्ति यह हो रही है कि टिनेन्ट्स के पास पैसा कहां से आयगा ? पैसा नही देंगे तो जमीन वापिस छिन जायगी और जिस आशय से यह क्लॉज़ रखा है वह आशय पूरा नहीं होगा। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के खजाने में काफी पैसा है। गहना रखकर उनसे लोन ले सकते है। गवर्नमेन्ट से लोन लेकर खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये पे कर सकते हैं, इसमें कौनसी कठिन बाते हैं। इसलिये कंपेन्सेशन दिलाने का जो तरीका रखा है वह वाजिब है, उसमें परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, जो तरमीम श्री नाथूरामजी ने पेश की है उसकी क्लॉज़ १६ डी के सब क्लॉज़ (ए) का जहां तक संबंध है वह ओरिजिनल १६ (डी) पर एक इम्प्रूवमेंट है और जहां तक इसको मंजूर किये जाने का प्रश्न है इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वह अमेन्डमेन्ट जरूर मंजूर किया जाना चाहिये।

जहां तक क्लॉज़ १६ (डी) (ए) भाग से ताल्लुक है उसमें अमेन्डमेन्ट द्वारा यह बताया गया है कि जब तक इन्स्टालमेन्ट्स का पेमेन्ट होगा पूरा,तब तक सब टिनेन्ट या टिनेन्स ऑफ खुदकाश्त पूरा लगान देगा। मान लीजिये यदि कंपेनसेशन १२००)रू० या १५००) रूपये कायम होता है और उसकी १५ किश्ते होती हैं, यदि इस अमेन्डमेन्ट द्वारा हम यह करने जा रहे हों कि अगर एक सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त १४ किश्तें दे चुकेगा तब भी उसको पूरा लगान देना पड़ेगा खातेदारी टिनेन्ट या खुदकाश्त टिनेन्ट को इसलिये यदि हम अर्थमेटिकली इस बात पर विचार करें कि कितने रूपये खातेदार या खुदकाश्त होल्डर को १४ किश्तों में मिल चुके हैं, साढ़े पांच साल में यदि छः माही किश्त हो तो और पांच साल में यदि सालाना किश्त है तो मेरे ख्याल से हम पहले यह मुकर्रर करें कि इतना गुना कंपेन्सेशन देंगे। मेरे ख्याल से उसकी मात्रा अधिक बढ़ जायगी और माननीय मंत्रीजी को विचारना पड़ेगा कि जहां हमने लिखा है कि उसको खातेदारी हक पूरे रूपये देने पर मिल सकता है वहां पूरा 'लगान अदा करना पड़ेगा। इस शर्त पर ब्याज रख दिया गया है, उसको सेटल अप करने का अधिकार मिलना चाहिये उतने रूपयों का जो पहले पेमेन्ट कर चुका है। इसके साथ साथ खातेदारी हक को जिस दिन दरख्वास्त दी और कंपेसेशन एस. डी. ओ. ने तय किया उसके बाद क्लॉज़ (b) में यह तय कर रहे हैं कि;—

> "(b) where any instalment of compensation payable under sub-clause (a) remains unpaid, it shall be realised as an arrear of land revenue by the Sub-Divisional Officer and paid to the person entitled to receive the payment of the same,"

जब कि हमने इसकी वसूली सरकारी लगान के तरीके पर रख दी है तो फिर समझ में यह बात नहीं आती है कि इसको खातेदारी हक पर इन्सटालमेन्ट में पेमेन्ट क्यों वाजिब रख दिया है जब कि फाइनल तय कर दिया है कि ये रूपये उसके जिम्मे बाकी हैं, यह ओप्शन नहीं है जिससे वह कह सकता हो की मैं नहीं लेना चाहता खातेदारी हक, मैं तो सब टिनेन्ट ही रहना चाहता हूँ, इसलिये मैंने जो रूपये दिये हैं वे मुझे वापिस दे दीजिये, मैं खातेदारी हक नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में यदि आप आखिरी दम तक यह अधिकार देते हैं कि वह पसन्द करे तो सब टिनेन्ट रहे इस स्थिति में यह रखना चाहिये था कि जब तक सारे रूपये अदा न करे तब तक खातेदारी अधिकार नहीं मिले, बल्कि अनपेड इन्स्टालमेंट्स जायदाद वगैरह कुर्क करके या और दूसरे तरीकों से, जिस तरह से कि लगान वसूल किया जाता है उसी तरह वसूल करेंगे। तो उसको जो हक मिला है उसको उसका पूरा फायदा मिलना चाहिये। मेरे खयाल से माननीय मिर्धा साहब या तो सब क्लॉज़ (बी) को हटायेंगे या इसे नये सिरे से अमेंड करेंगे।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

इसी तरह क्लॉज़ सी० है। उसमें भी मुझे उज्र है, उसमें कहा है कि :

"(c) Where any compensation is payable for the grant of Khatedari right in land with or without the right in a well or other improvement, the amount of such compensation shall be payable in lump or divided into instalments in the manner provided in clause (a);"

यह सब क्लॉज़ ऐसा है कि कुओं पर अधिकार लेने के लिये जैसे (बी) और (सी) को बहस के दौरान में कहा गया, कुओं पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करना कांश्तकारों के लिये आवश्यक नहीं है, वह वैसे ही कुओं से फायदा उठा सकते हैं, इरीगेशन चार्जेज भी किसी वक्त सरकार मुकर्रर करे तो देने के लिये पाबन्द किया जा सकता है, लेकिन इसकी वसूली भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरफ रख दिया जावे। उसे जमीन के इन्स्टालमेंट देने पड़ेंगे और कुए के भी इन्स्टालमेंट देने पड़ेंगे। तो इस तरह दोनों के इन्स्टालमेंट एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह देने पड़ेंगे। इसके लिये यह है : "Where any compensation is payable for the grant of Khatedari right in land with or without the right in a well or other improvement, the amount of such compensation shall be payable in lump or divided into instalment..."

Now sub-clause (b) is related to sub-clause (a):

"(b) Where any instalment of compensation payable under snb-clause (a) remains unpaid..."

So the method of realising the amount is given in sub-clause [b] while the procedure is prescribed in sub-clause [a]. इस तरह से वह का वही प्रोसीजर उनको कम्पेन्सेशन देने के लिये इसमें एडॉप्ट किया गया है जो काफी सख्त रहेगा। अतः मैं यह गुजारिश करता हूं कि अपने अमेंडमेंट को मिर्धा साहब वापिस देखें और शान्ति-पूर्वक विचार करें और जहां तक मैं समझता हूं उनके विचार करने पर अच्छा नतीजा निकलेगा।

श्री गोपीलाल यादव—मैं इसमें एक अमेंडमेंट पेश कर रहा हूँ जो सबको पसन्द आयेगा। मिर्धा जी का मतलब करीब करीब ठीक हो जाय और खण्ड १६ डी ठीक हो जाय, इसका तरीका यह है कि १६ डी. की सब क्लॉज़ (३) और (५) को हटा दिया जाय, इनको डिलीट करने से सारी दिक्कतें हल हो जाती हैं, और कोई दिक्कत नहीं रहती, जो मैं अभी निवेदन करने जा रहा हूं।

१६ डी. के सब क्लॉज़ (१) भाग (ए) में मिर्धा जी ने यह रखा है कि :

"...having regard to the following matters, namely:—

[श्री गोपीलाल यादव]

(i) the amount of compensation payable

(ii) the paying capacity of the person liable to pay the compensation, and

(iii) such other matters as may be prescribed,"

कानून बनाने वालों का नियम यह होता है कि खामोख्वाह वर्ड्स बढायें नहीं, अगर तीन शब्दों की बात एक शब्द में आ जाय तो वे उसकी जगह वही एक शब्द रखते हैं। १६ डी. में एक बड़ा सुन्दर शब्द रखा हुआ है, 'Suitable.'

"(i) On the determination of compensation, the Sub-Divisional Officer shall divide the amount in suitable annual or half-yearly instalments spread over a period of not exceeding six years, "

'सूटेबल' के क्या माने हैं, ? देखने में सुन्दर लगे और इसमें सारा बराबर का मतलब आ जाय। सूटेबल के केवल यही माने नहीं है कि जितना जी चाहे उतना दे दें, पर इसके माने हैं कि देने का निर्णय करने से पहले देखें कि क्या उसकी केपेसिटी है, कितना दे सकता है, उसकी हालत क्या है ? उसकी सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दें, यह सब इस 'सूटेबल' शब्द में इन्क्लाइड है, सूटेबल में तीनों चीजें रखी हैं। सब सेक्शन (१) के भाग (ए) में है :

(i) the amount of compensation payable ;

(ii) the paying capacity of the person liable to pay the compensation, and

(iii) such other matters as may be prescribed ; "

यह सब आ जाता है, इसलिये वहां तो किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती। एक गैर जरूरी चीज़ छोड़ी है वह यह है :

"(3) If the land-holder fails to take payment of the deposit within one year of its receipts without reasonable cause the Collector may credit the amount as Government income."

इसमें से सब क्लॉज़ (३) को डिलीट कर दीजिये तो जो मिर्धाजी ने रखा है वह यों का यों हो जाता है। इसके बाद सब क्लॉज (४) रखा हुआ है :

[श्री गोपिलाल यादव]

कि मुफ्त में बिना कम्पेन्सेशन दिये ही उसे राइट्स मिल रहे हैं, तो वह पेमेन्ट नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है। 'एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू' होने से एक अच्छी पैदावार नहीं हुई है तो अकाल रिलीफ के नाम पर गवर्नमेंट छोड़ देती है, कुछ अगले साल के लिये डाल देती है, तो 'एज एनी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू' के लिये उस पर कोई हार्डशिप्स नहीं होने वाली है। इस तरह सब सेक्शन (४) कोई बुरा नहीं है, मिर्धाजी जैसा बुरा नहीं है। (५) के शब्द हैं :

"......and direct that he may be evicted from such land and that it may be restored to the land holder......"

क्यों साहब वह सब टिनेन्ट है और बतौर सब टिनेन्ट के सेक्शन १३१ में इविक्ट नहीं हो सकता, उसको निकालते क्यों हैं, रहने देना चाहिये सब टिनेन्ट।

सब क्लॉज (३) और (५) को डिलीट कर दीजिये, फिर मिर्धाजी के सब संशोधन इसमें आ जाते हैं और यह एक अच्छा सेक्शन बन जायगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सब सेक्शन (३) और (५) को डिलीट कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्षजी, सेक्शन १६ (डी) में जो तरमीम माननीय मिर्धाजी ने रखी है मैं उसको दुरुस्त मानता हूं। हो सकता है कि या तो मैं इसको नहीं समझ पाया हूं या मेरे लायक दोस्तों ने इसको ठीक तरह से पढ़ा नहीं है। इसमें उन्होंने कम्पेन्सेशन ऑफ ऑल काइन्ड्स को दो केटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक तो कम्पेन्सेशन खाली वेल का और इम्प्रूवमेन्ट का और दूसरा 'of land together with the improvements and the well' दोनों के लिए अलग अलग तरीके इस तरमीम में बताये गये हैं। जो खाली इम्प्रूवमेंट और वेल का कम्पेन्सेशन है वह तो इन्स्टालमेंट में रिएलाइज़ हो जावेगा और यदि इन्स्टालमेंट टूट जाए तो एरियर ऑफ लेन्ड रेवेन्यू की तरह से लिया जा सकता है लेकिन जो इन्स्टालमेंट उस लेन्ड और इम्प्रूवमेंट के कम्पेन्सेशन का है उसके बारे में इसमें छूट की गई है। जैसा श्री यादवजी ने कहा खातेदारी लेन्ड के साथ इम्प्रूवमेंट लगा है, उनका कम्पेन्सेशन का इन्स्टालमेंट अगर चूक जाय तो उनको खातेदारी राइट्स तो मिलेंगे ही। इसकी व्यवस्था इस तरमीम में की गई है और वह तरमीम जो की गई है वह है (डी), जिसमें कहा गया है : "if the amount of compensation payable under clause (c) remains unpaid in whole or in part for a period exceeding three months from the date of its falling due, the amount already paid to the landholder shall be refunded to the tenant of khudkasht or sub-tenant as the case may be."

मान लें कि एक व्यक्ति ने दो किश्तें तो दे दीं और तीसरी किश्त पर वह किश्त नहीं चुका सकता है और तीन महीने निकल जाते हैं और वह अपनी किश्त अदा नहीं कर सकता तो ऐसी सूर

[श्री गोपीलाल यादव]

"(4) If the person to whom Khatedari rights have been granted fails to pay any instalment of compensation fixed under sub-section (1) the Tehsildar ma realise it as an arrear of land revenue ; "

यह है सब सेक्शन (४) और दूसरी है सब सेक्शन (५) । उन्होंने (४) और (५) को ऐसा मिला दिया है कि जिससे बड़ा गड़बड़ हो गया है, (५) की तो कोई जरूरत ही नहीं है :

"(5) If the instalments are in arrears for two years the Collector may after giving the defaulter an opportunity of being heard cancel the order granting Khatedari rights"

इसके अन्दर क्या है कि दो साल तक वह एरियर में पड़ा रहेगा फिर इसके बाद किसान दे नहीं सकता क्योंकि किसान पास पैसा है नहीं, दो साल पड़ा रहने के बाद दे सकेगा नहीं और कलेक्टर उसकी जमीन को छीन लेगा, तो इस प्रकार सब सेक्शन (४) और (५) की लड़ाई है और वह बैठ नहीं सकती । सब सेक्शन (४) में है :

"If the person to whom Khatedari rights have been granted fails to pay any instalment of compensation fixed under sub-section (1) the Tehsildar may realise it as an arrear of land revenue."

तो वहां तो तहसीलदार 'एज़ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू' (as an arrear of land revenue) वसूल करेगा, पर इसका सवाल पैदा ही नहीं होता :

"If the instalments are in arrears for two years, then he will realise it as arrears of land revenue." तो वह तो रह नहीं सकता ।

सवाल पैदा यह हो गया कि 'एज़ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यु' वसूल करे उसमें कोई दिक्कत (hardship) नहीं है, इसमें रकम का दावेदार तहसीलदार के पास रिपोर्ट पेश करेगा तहसीलदार इसको नोटिस देगा और वह तहसीलदार के पास जाकर कह देगा कि मेरे पास खाने को भी नहीं है । इसके बाद मांगने वाला ऑक्सन, कुर्की करेगा करेगा तो कुर्की में जमीन बैल हल और रहने का मकान इनको तो कुर्क कर नहीं सकता, इनके अलावा उसके पास और कुछ है नहीं तो तहसीलदार उसके पास से कुछ ले नहीं सकता । मिर्धाजी वाले में भी यही है और इसमें भी यही है । इसमें इतना इम्प्रूवमेंट है कि साल भर की इन्स्टालमेंट ५०) रुपया हो तो वह अवश्य दे । चूंकि खातेदारी राइट्स दिये जा रहे हैं और वह राइट्स दिये जा रहे हैं जिनके लिये, वह १०० गुना कीमत आज देने के लिये तैयार है और इस कानून के फोर्स में आने से पहले तक वह जागीरदार को १०० रुपया दे आयेगा, और उसको पता नहीं कि मेरे हक में कितना बढ़िया कानून बन रहा है, जब

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

में उसने जितना रूपया किश्तों के रूप में अदा किया है वह तो उसको वापिस लौटा दिया जावेगा और उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह होगा कि जिस हैसियत में वह पहले था उसी हैसियत में वापिस रहेगा। यदि वह सब टिनेन्ट की हैसियत में था, या टिनेन्ट की हैसियत में था तो उस हैसियत में रहेगा। इसलिये मेरे माननीय मित्र इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा, जैसा कि मैं देखता हूं सब क्लॉज (१) का भाग (ए) कहता है :—

"(a) Where the compensation relates only to the right in a well or other improvements, the Sub-Divisional officer may order the amount of compensation to be paid in a lump-sum or divide the amount in a suitable number of annual instalments, not exceeding six, having regard to the following matters, namely :—

[i] The amount of compensation payable.

[ii] The paying capacity of the person liable to pay the compensation: and

[iii] Such other matters us may be prescribed."

इस सब क्लॉज के भाग (ए) में सिर्फ कम्पेन्शेसन का ताल्लुक है "there it relates only to right in well or other improvements," अब आप (बी) को देखें, तो उसमें यह है

[b] Where any in stalment of compensation payable under Ssb-clause [a] remains unpaid..." and Sub-clause [a] relates only to right in well or other improvements... "it shall be realised as an arrear of land revenue by the Sub-Divisional Officer and paid to the person entitled to receive the payment of the same;" So Sub-clause (b) relates only to compensation which is related to improvements or the well.

Now we come to clause (c)

"(c) Where any compensation is payable for the grant of Khatedari rights in land with or without the right in a well or other improvements..."

Now it is purely for the landlord to allow the use of the land with or without the right of well etc. So (c) means. that such compensation shall be payable in lump or divided into instalments in the manner provided in clause, (a)

So far as the instalments are concerned, they may be divided into instalments as provided in sub-clause [a]. But when the instalments are fixed and the amount is not paid according to the instalments, on the fixed date, then what happens ?

"(d) If the amount of compensation payable under clause [c]..." (c) means 'land with or without improvements'. Land is connected with this. so if this amount

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

remains unpaid... "...in whole or in part for a period exceeding three months from the date of its falling due, the amount already paid to the landholder shall be refunded to the tenant of Khudkasht or sub-tenant as the case may be:"

ऐसी सूरत में यह कम्पेन्सेशन रिलेट करता है जमीन या उसके साथ कोई वेल हो या दूसरी चीज़ हो और प्योरली वेल के लिए नहीं है। जो भी अमाउन्ट इन्स्टालमेंट का उसने पे किया है वह उसको वापिस रिफन्ड कर दिया जावेगा और उसका स्टेटस वही मेन्टेन कर दिया जावेगा जो राइट्स उसको खातेदारी राइटस से पहले थे, वही राइट्स उसके रहेंगे। अगर वह सब टिनेन्ट है तो वह सब टिनेन्ट रह जावेगा या दूसरा कोई उसका स्टेटस हो तो वह रह जावेगा। उसके हकूक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इसमें यह माना जाता है और मैं समझता हूं कि वह उसूल की बात है कि अगर वह इन्स्टालमेंट नहीं अदा कर सकता है और इसमें यह रख दिया जाता है कि जो इन्स्टालमेंट उसने दे दिया है वह तो पड़ा रहे और जब तक वह पूरे इन्स्टालमेंट अदा नहीं करे तब तक उसको हक नहीं दिये जावें। यहां तक तो वह चीज रखी जा सकती है। मान लें कि उसने दो इन्स्टालमेंट्स तो दे दिये और तीसरा इन्स्टालमेंट उसका ड्यू है और उसको तीन महीने बीत गये तो इस क्लॉज में अधिकार दिया गया है कि अगर वह तीन महीनों में नहीं देता है तो वापिस लौटा दी जावेगी और वह वापिस उसी स्टेटस में आ जावेगा जिस स्टेटस में पहले था। इसमें जब उसकी हैसियत हो जावे छः महीने बाद, या एक साल बाद, उस समय वह दुबारा दर्ख्वास्त दे सकता है। जब वह दुबारा दरख्वास्त देकर अपना हक हासिल कर सकता हैं तो इसमें यह भी क्लॉज़ रखा जा सकता था कि जो भी इन्स्ट्रालमेंट ड्यू हो वह दे दे और उसके राइट्स कन्टीन्यू रहे। उसूलतन यह बात ठीक नहीं, यह अगर आप मानते हैं तो फिर इन्स्टालमेंट का प्रश्न क्यों रखा जाता है? उसका तो रुपया वापिस लौटा दिया जावे और जब रुपया दे दें तो उसको हक वापिस उसी तरह से दे दिया जावे। यह एक दूसरी चीज़ हैं और मैं इस चीज को बेटर मानता हूं कि अगर कोई इन्स्टालमेंट नहीं अदा कर सकता है तो उसके इन्स्टालमेंट पर छः प्रतिशत इंन्ट्रेस्ट अगर वह अदा कर दे तो वह जारी रहे और जब वह इन्सटालमेंट पूरा अदा कर दे तो उसको खातेदारी राइट्स पूरे मिल जावें। यह तो हो सकता हैं। लेकिन मौजूदा सेक्शन में और सब क्लॉज़ में कोई बात नहीं। जब उसकी हैसियत हो जावे तो उसको अधिकार मिल जावेंगे और वह फिर एप्लाई कर सकता है, under सब क्लॉज़ (c) for the compensation which is mentioned in sub-clause (c) अब मान लें कि उसको रुपया लोटाना है, उसका रुपया तहसील में जमा है, अगर उसका किसी तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है, उसने अगर लेन्ड रेवेन्यू पे नहीं किया है, अगर लेन्ड होल्डर को रुपया लेना है और अगर लेन्ड होल्डर यह एप्लाई करे कि इस रकम में जो उसकी जमा हैं उसमें से उसे रुपया दिला दिया जावे तो यह दुतरफा चीज़ होगी; जैसा कि इसमें प्रोविजो है:—

"Provided that where the landholder applies to the sub-Divisional Officer for the adjustment of instalments already received by him against any

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

arrear of rent or against any advance payment of rent, the Sub—Divisional Officer shall pass such order as he thinks fit and proper"

और वह कह दे कि मैं मान लीजिये कि १५०) जमा है इन्स्टालमेन्ट के, आगे जाकर काट दूंगा रेन्ट में और एस. डी. ओ. साहब उसको अगर मुनासिब समझते हैं तो रेन्ट में काट सकते हैं। तो मौजूदा शक्ल में सब क्लॉज़ में जो अमेंडमेंट है वह दुरुस्त है, और अगर उसमें तरमीम करने की कोई गुन्जाइश है तो इतनी ही गुन्जाइश है कि अगर समय पर जमा न करा सके तो उस रकम का इन्ट्रेस्ट इसमें और जोड़ दिया जाय ताकि इन्ट्रेस्ट देने पर जो हकूक हैं वे उसके चलते रहें। अगर एक साल देर हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा इन्ट्रेस्ट का ही तो झगड़ा पड़ेगा। इससे यह होगा कि वह वापिस लेने के झगड़े में नहीं पड़ेगा। वरना क्या होगा कि पहले जो प्रोसिडिंग्स हुई है, कम्पेन्सेशन डिटरमिन कर दिया गया है, वह तो वैसी की वैसी ही रहेगी, किन्तु उसको दुबारा दर्ख्वास्त के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। खामोंखाम उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो यहां केवल इन्ट्रेस्ट का ही सवाल उपस्थित हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और जिस शक्ल में यह धारा बने, बनावेंगे।

श्री मानसिंह मद्दार—माननीय उपाध्यक्षजी, १६ डी बारे में जो तरमीम मेरे मित्र मिर्धा साहब ने रखी है उसके लिए मुझे यही कहना है कि शायद उनके दिमाग पर जागीदारी का जो मेनिया था वह २३ तारीख के फैसले से खत्म हो चुका है और वास्तविकता पर पहुंचना जरूरी है कि खातेदार और गैरखातेदार के क्या हक हकूक होने चाहिए ?

पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ऐसा उपयोगी अमेन्डमेन्ट जो मिर्धा साहब ने रखा है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों के अन्दर न जाकर टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को एक और जोड़-जाड़ कर यह न समझें कि जागीरदारों के सब टिनेन्ट ऐसे हैं या वैसे हैं। मैं एक खास बात यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को एट्रैक्टिव टर्म देंगे, सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देने के लिए, तो मैं आपको सही कहता हूं कि उसमें जागीरदार ज्यादा होंगे। वे अपनी जमीनों में काश्त कम करावेंगे और सब टिनेन्ट्स खातेदारी राइट्स ले लेंगे। यदि ज्यादा कैद लगाई गई तो सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स मिलने मुश्किल हो जावेंगे। अगर आप इसको इसी लाइट में लेंगे तो जितनी इस धारा में न लाना चाहें आप लावें। यह अपने आप महरूम करने का तरीका भी अच्छा है। उस प्रवृत्ति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र ने जो तरमीम रखी है वे उसको मंजूर करें। यह भी मैं मानता हूं कि मेरे मित्र जो कोटा से तशरीफ लाये हैं और जो हरिजनों के पास ज्यादा जमीन न होने से सब टिनेन्ट के हकूकों को बढ़वाना चाहते हैं वे सूख कर छुआरे हो रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि इस प्रकार की तरमीम अगर वे लाते हैं तो उससे

[श्री मानसिंह महार]

हरिजनों को फायदा होने की बजाय नुकसान ही होगा। अगर लीनियन्सी रखेंगे तो खातेदारी के हकूक जिनको मिलना चाहिए वे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वे वास्तविकता की ओर जांय।

(राज श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

तीसरी बात यह है कि नीम के थाने से आये हुए मेरे मित्र जो हैं उन्होंने मिर्धा साहब के सेक्शन १ को तो सपोर्ट किया है और जो बाद के अमेन्डमेन्ट हैं उनका उन्होंने विरोध किया है। इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी किसी जमीन में इम्प्रूवमेन्ट करता है तो उसका उसको कम्पेन्सेशन मिलता है। कोई कहता है कि छः किश्तों में मिले, कोई कहता है पांच किश्तों में मिले और कोई क्या और कोई क्या ? यह वाजिब चीज़ है,जो सुधार करता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे मित्र कुछ ऐसी वैसी बातें कह देते हैं कि यह नहीं, वो नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ,एक वकील साहब हैं। किसी काश्तकार से महनताना तय करते हैं कि तेरे से दोसौ रूपया लूंगा। यदि किसी काश्तकार के आपस में ही राजीनामा हो जाता है और वकील साहब चाहे एक पेशी पर ही गये हों या दूसरी पर नहीं गये हों, किन्तु वे तो दो सौ रुपये उसी वक्त उस काश्तकार से धारा लेते हैं। वे उस वक्त रियायत नहीं बरतते। तो उधर ध्यान ज्यादा देना चाहते हैं, बनिस्पत इसके कि यहां पर यह कहा जायं कि छः किश्तों के बजाय १२ कर दी जायं। ये चीजें है। खास कर नीम के थाने में यह आम बात है, आज के जमाने में। तो उनकी तरमीमों के बारे में यही निवेदन करना है कि सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनसे भी ज्यादा पहुँचे हुए हैं और मेरे लायक दोस्त जो सिरोंज से तशरीफ लाये हैं उन्होंने नाथूराम जी की क्लॉज़ेज़ का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया कि हमारे यादव साहब ने सदन में जो मुगालता पैदा कर दिया था उसका खात्मा हो गया।

तो इन दो-चार शब्दों के साथ मिर्धा साहब ने जो अमेन्डमेन्ट रखा वह बहुत संजीदगी के साथ रखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—What about the adding of interest clause ?

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इन्ट्रेस्ट के लिए तो मैं यह कहूँगा कि ये तो छुट पुट चीजें है। क्या इन्ट्रेस्ट रखा जायगा ? कम्पेन्सेशन ही खातेदार को मिल जाय वही काफी होगा। उचित रूप से जो दिलाना है दिला दें। आज के युग के अन्दर ऐसी हालत हो रही है कि अराजकता का बोल बाला है। यह कहा जाय कि इन्ट्रेस्ट और दिला दें तो यह मुकदमा बाजी को बढ़ाना है। छः गुना कम्पेन्सेशन दिलाने की बात कहते हैं...

श्री गोपीलाल यादव—छः गुना नहीं, छः किश्तों में।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) छः साल में कम्पेंन्सेशन की रकम लेने में एक चौथाई तो उसे जरूरी लोगों को देने दिलाने में ही खत्म हो जावेगी। वकील, अहलकारान, मुन्शी आदि को तो दिलाने में ही खर्च हो जावेंगे। आप जो कम्पेन्सेशन की रकम दिलावेंगे उसमें से तीन चौथाई ही पल्ले पड़ जाय तो बहुत समझिये। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि सब टिनेन्ट को ज्यादा तादाद में खातेदारी हकूक दिलाने हैं तो मिर्धा साहब को बातों को मंजूर करना चाहिए। ये चन्द बातें कह कर मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट श्री मिर्धा साहब ने रखा है क्लॉज १६ डी पर उसको पूरा मंजूर किया जाय और श्री यादव साहब ने गलत तरीके से इसको इन्टरप्रेट करके सदन के सामने जो कुछ कहा है उस पर वे ज्यादा गौर न फरमावें तो ठीक है।

श्री ईश्वरीसिंह—मारी समझ में नहीं आयी कि या बात कही गई कि जीं जमीन पर मिनक काश्त कर रह्या है उणी जमीन को मुआवजा नहीं दियो जाय तो वो बिल्कुल न्यायसंगत नहीं। मूं जाणु कि जमीन पे तो मिनक ही काश्त करे है। जागीरदारां के पास जमीन है और वाने खातेदारी को हक दे दियो गयो पण काश्त तो दूजा ही जणा कर रह्या है। जमीन को हक जागीरदारों को ही क्यों हुवे। हजारों बीघा उणानके जमीन है तो उणा ने दंड देना चाहिजे जो कि उल्टो सुणा ने मुआवजा किण बात को दियो जावे। मारी समझ में तो न्याय कि बात होणी चाहिजे या तो समझ में आवा की बात कोनी कि उणा ने मुआवजो किण बातरो दियो जाय। चोरां ने दंड देता आया हां, चोरां ने दण्ड देणो चाहिजे। जो मुआवजा की जो बात इण मैं राखी है वा ठीक नहीं। मिरधा साहब ने तरकीब कर यह तरकीब की जिंकी कई जरुरत नहीं।

गरीब काश्तकार है, गरीब हरिजनों की बात उठाई, या बात ई तरह उड़ाई कि उनके पास जमीन है। एक कडक रोटी खावा के वास्ते नहीं और वे फिर मुआवजा का दाम कटांसु देवेगा। तो जो मालदार हैं वही जमीन जोत रह्या है,हरिजन है उनका ख्याल नहीं;मालदार है वे खूब खांड नाक खिचडी खाय और गरीबां ने सूखी रोटी भी नसीब में नहीं मिले।

मैं आप लोगां ने पूछूं कि या जिम्मवारी कींकी। जिम्मेवारी मंत्री साहब की है। सोच विचार काश्तकारों का हक की चीज़ कोनी करोला तो आगे भी ठीक नहीं होवा वालो है। अगर चोखी बात पास करोला तो लोग कहेबेला कि नाथूरामजी अच्छो कानून बनायो है।

अतरो ही केवू हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी माननीय सदस्य ने जो कहा तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या है? क्या नाथूरामजी के अमेन्डमेंट को स्वीकार करने या नहीं करने से या मूल बिल में जो क्लॉज़ है उसको स्वीकार करने से है?

श्री ईश्वरीसिंह— (अपना भाषण जारी रखते हुए) म्हारी मन्शा आ है कि मुआवजा की रकम जो २० गुना या १५ गुना रखी है वा नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसका इस क्लॉज़ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—इनका कहने का मतलब यह है कि कम्पेन्सेशन के क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी खण्ड १६ डी. पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा, मैं उस पर दो शब्द निवेदन कर देना जरूरी समझता हूं। एक तो स्पष्टीकरण इस मामले में आवश्यक हो गया है और वह इस प्रकार से है :- खण्ड १६ डी के सब पैरा (बी) में जहां पर यह पैरा खत्म होता है जिस पर कि अब तक बहस की गई है, इस सूरत में जब कि कम्पेन्सेशन पूरा नहीं दिया जायगा या न देने की सूरत में खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं करेगा वह। पैसा सब टिनेन्ट को वापस रिफन्ड कर दिया जायगा।

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपको मार्फत संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि हमने खण्ड १६ बी में स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें सब डिवीज़नल ऑफिसर को अख्त्यार दिया है कि इस संबन्ध में जो सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की अर्जी आयगी उस पर उचित हुक्म खुद देगा कि उसको खातेदारी के हक दिये जांय या नहीं। इसके लिए एक दृष्टांत आप अपने सामने रखिये। सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त ने एक अर्जी पेश की और उस पर सब-डिवीज़नल ऑफिसर ने हुक्म कर दिया कि तुम्हें खातेदारी के अख्त्यार दिये जाते हैं तो हमारा इस वक्त का खण्ड जो संशोधित १६ डी है उसमें इस बात के लिए कोई प्रोवीज़न नहीं है। उन अख्त्यारात को १६ डी की तहत में स्पेसिफिकली दे दिया है। जो खातेदारी हक एक्यू करता है उसकी तरफ से उसका अब क्या अन्त होगा? जब कि स्पेसिफिकली राइट्स एक्रू करवाया है तो १६ डी की तहत उसके उपखण्ड (३) में हमको स्पेसिफिकली यह प्रोविज़न करना पड़ेगा। जहां पर खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं करेंगे वहां मेरा संशोधन १६ डी में आखिरी तौर में है "as the case may be" and "Khatedari rights shall not accrue."

इस संशोधन को मेरा ख्याल है संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य अवश्य मन्जूर करेंगे। इसके शब्दों में हेर फेर हो सकता है। यह भी संशोधन हो सकता है कि १६ डी के तहत में खातेदारी हक एक्रू करने का हुक्म होगा, वह फैसला माना जायगा। ऐसी कोई भी शब्दावली हो सकती है। लेकिन इस तरह का प्रोविज़न न रखने की वजह से १६ (बी) में जो स्पेसिफिकली राइट्स देते हैं और हुक्म कर दिया कि इसको खातेदारी राइट्स देते हैं, जब तक उनके लिए कानून में कोई बात नहीं रखते हैं तो वह एक प्रकार से कानून में कमी रह जायगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन को अवश्य मंजूर किया जायगा।

अब मैं एक-दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष तौर से मेरे पूर्व वक्ताओं ने दो या तीन बातों पर जोर दिया है एक तो सब डिवीजनल ऑफिसर के डिस्क्रिशनरी पॉवर्स के बारे में और दूसरा इम्प्रूवमेन्ट्स के सिलसिले में जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा उसके वसूल करने के तरीके के सम्बन्ध में हैं। जहां तक एस.डी. ओ को इन्स्ट्रक्शन्स

[श्री जवानसिंह]

की रकम वसूल करने के अधिकार का सम्बन्ध है, वह जो अख्त्यार दिया गया है वह चाहे तो उसको लम्पसम वसूल करे या अलग अलग इन्स्टालमेन्ट के रूप में। इसका होना आवश्यक इसलिये है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रकम एक साथ देना चाहता है तो उसके साथ यह ओब्लिगेटरी क्यों किया जाय? वह उसको कहे कि नहीं मैं तो पूरी की पूरी रकम एक साथ नहीं लेता इन्स्टॉलमेन्ट के रूप में ही लूंगा। सब टिनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त अगर पूरी रकम एक साथ देना चाहे तो एस.डी. ओ एक साथ वह रकम ले ले; इसलिये यह कानून में प्रोवीजन होना जरूरी है। अगर एस.डी. ओ चाहता है कि सब टिनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त इस काबिल नहीं कि पूरा रुपया एक साथ दे सकता है तो उसके लिये किश्त करना आवश्यक हो जाता है। ओब्लिगेटरी सेक्शन एस. डी. ओ के लिये नहीं होनी चाहिये। अगर किश्तों में ही अदा करना होता है तो दूसरी सूरत में वह नहीं होगा। इसलिये एस. डी.ओ को जो पॉवर दिये गये हैं वह उचित हैं और इसका कानून में रहना जरूरी है।

दूसरा प्रश्न एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू के सिलसिले में है, इम्प्रूवमेन्ट्स के सिलसिले में है। जब हम आगे की धाराओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब टिनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त सब लीज़ या मोर्टगेज कर सकता है अपनी जमीन का इस बिल की तहत, जो कोई अधिकार उनको प्राप्त होगा उससे वह कानून के पास में आ जायगा। अब ऐसे अधिकार जब हम सब टिनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिये जब कम्पेन्शेसन तय कर देते हैं, जब सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के हाथ में उन अधिकारों के आने के की बाद में रकम वसूल नहीं जाती है तो बड़ी उलझन पैदा हो जायगी। जिस चीज का एक दफा फायदा ले लिया उस चीज का उसने मोर्टगेज कर लिया। उससे अगर पैसा वसूल न किया जायगा तो फिर वह पैसा वसूल नहीं हो सकेगा। इसलिये लाजमी यह हो गया कि जहां पर हम सब टिनेन्ट को जमीन के मोर्टगेज का हक देते हैं उसके साथ में यह भी जरूरी हो जायगा कि कम्पेन्सेशन भी इम्प्रूवमेन्टस के सिलसिले में रख दिया जाय और वह पैसा भी साथ में वसूल कर लिया जाय। जिस प्रकार विशेष रूप से लेन्ड रेवेन्यू का प्रोवीजन किया गया है वह बहुत बेहतर और उचित है। अतः मिर्धा जी की तरफ से जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह बहुत उचित है और वाजिब है। इसको अवश्य मन्जूर किया जाना चाहिये।

श्री सभापति—चूंकि अब समय हो गया है, अतः आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल सुबह आठ बजे फिर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

(विधान सभा की बैठक १२ बजे मध्यान्ह में दिनांक २७ अगस्त, १९५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक: २६ अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।